हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–I, शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2013 से 03/2014

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना :–**

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–I, जिला शिमला के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2014 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्र0सं0	अधिशासी अभियन्ता/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री डी0आर0 गाँधी	1.4.2013 से 31.3.2014

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–I के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2014 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

क्रमाँक	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	(₹) लाखों में
1	स्टाफ अग्रिम का समायोजन न करना	4 (क)	6.52
2	विविध अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	4(ख)(1)	98.50
3	विविध अग्रिम राशि सेवा निवृत कर्मचारी श्री जे0के0 कपूर (ए0ई0) से वसूली हेतु शेष	4 (ख)(2)	1.10

4	जल प्रभार की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	4 (ग)	5.18
5	विभिन्न आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि शेष	4 (घ)	25.85
6	भण्डार मदों को दार्घकाल से प्रयोग में न लाना	6	10.97
7	वेतन व भत्तों का कर्मचारियों को स्वीकृत पदो ंके बिना अनियमित भुगतान	12 (क)	75.69
8	नियमों की अनदेखी करके ठेकेदार को Secured Advance का अनुचित भुगतान करने बारे	25 (क)	8.43
9	ठेकेदार को अतिरिक्त मिटटी की ढुलाई की एवज में अनियमित भुगतान	26 (ख)	14.74
10	कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार रायल्टी की वसूली न करना	26 (घ) (i) व 28 (च) (i)	4.81
11	कटिंग इन अर्थ वर्क/भूमि की खुदाई से निकाले गए पत्थरों की वसूली न करके ठेकेदार को सम्भावित अनुचित लाभ पहुंचाना	28 (ङ)	2.44
12	अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही न करने के कारण सम्भावित रूप से परोक्ष हानि	32 (क)	34.63
13	संविदाकारों/ठेकेदारों की Security की कालातीत हो चुकी राशि को जब्त न किए जाने के कारण निर्माण मण्डल को वित्तीय हानि	36	19.42

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने पर नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट ''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 1990–91 से 2012–13 तक निर्माण मण्डल से सम्बन्धित 272 से अधिक अंकेक्षण आपत्तियॉ निपटारे हेतु शेष है। अंकेक्षण में पाया गया कि दीर्घकाल से लम्बित चली आ रही अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारें हेतु कोई भी प्रयास न करना अत्यन्त ही चिन्ताजनक है तथा अंकेक्षण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। उपरोक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए यह मामला प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ ठोस कार्रवाई किये जाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है। निपटारे हेतु शेष बकाया पैरों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	4/1995 से 3/1996 तक	3
2	4/1996 से 3/1997 तक	1
3	4/1998 से 3/1999 तक	3
4	4/2000 से 3/2001 तक	4
5	4/2001 से 3/2002 तक	5
6	4/2002 से 3/2003 तक	1
7	4/2003 से 3/2004 तक	5
8	4/2004 से 3/2005 तक	5
9	4/2005 से 3/2006 तक	5
10	4/2006 से 3/2007 तक	6
11	4/2007 से 3/2008 तक	7
12	4/2008 से 3/2009 तक	11
13	4/2009 से 3/2010 तक	13
14	4/2010 से 3/2011 तक	10
15	4/2011 से 3/2012 तक	19
16	4/2012 से 3/2013 तक	9

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण में मण्डल–1 को वान्छित कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित पैरों की संख्या

1	4/1990 से 3/1991 तक	3
2	4/1991 से 3/1992 तक	12
3	4/1992 से 3/1993 तक	7
4	4/1993 से 3/1994 तक	24
5	4/1994 से 3/1995 तक	10
6	4/1995 से 3/1996 तक	14
7	4/1996 से 3/1997 तक	28
8	4/1997 से 3/1998 तक	36
9	4/1998 से 3/1999 तक	16
10	4/1999 से 15.1.2001 तक	15

भाग – 2

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश शिमला निर्माण मण्डल–1 के लेखों अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 तक का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है सर्वश्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) व मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 03.11.2014 से 01.01.2015 तक श्री बसंत सिंह कवंर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 के पर्यवेक्षण में निर्माण मण्डल के शिमला स्थित कार्यालय में किया गया। मास 03/2014 के लेखों को विस्तृत लेखा परीक्षा हेतु चयनित किया गया। निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशासी अभियन्ता, आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–1, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

वर्ष 2013–14 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–171002 को पृथक से सूचित किया जायेगा।

4 (क) दिनाँक 31.3.2014 को स्टाफ अग्रिम ₹6.52 समायोजन हेतु शेष :–

स्टाफ अग्रिम लेखा की जॉच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2014 को ₹651990/– समायोजन हेतु शेष थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है। स्टाफ अग्रिम विवरण की जॉच में पाया गया कि अधिकतर अग्रिम राशियाँ सहायक अभियन्ताओं, एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं से सम्बन्धित था। अतः अग्रिम के समायोजन हेतु शीध्र आवश्यक कार्यवाही की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख)(1) विविध अग्रिम ₹98.50 लाख दिनांक 31.03.2014 को समायोजन हेतु शेषः–

विविध अग्रिम से सम्बन्धित विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल–1 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों से ₹9849781/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकत्तर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पडी हुई है परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा इनके समायोजन हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे है। यद्यपि अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–2 यह गम्भीर अनियमितता प्रकाश में लाई जा रही है परन्तु इसके बावजूद भी वर्णित अग्रिम के निपटारे हेतु कार्यालय द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः यह प्रकरण प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(2) विविध अग्रिम ₹1.10 लाख गत अनेक वर्षों से समायोजन के लिए लम्बितः–

विविध अग्रिम विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि ₹110344/– की राशि श्री जे0के0 कपूर (सेवा निवृत ए0ई0) जो की एच0पी0पी0डब्लयू0डी0 से निर्माण मण्डल–1 में प्रतिनियुक्ति पर आए थे, से गत कई वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित है। उक्त अग्रिम राशि का किसी सेवा निवृत कर्मचारी से सेवानिवृति के बाद भी समायोजित न होना एक गम्भीर मामला है और साथ ही यह हिमुडा निर्माण मण्डल–1 की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। अतः उक्त अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) दिनांक 31.03.2014 को ₹5.18 लाख जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष :–

हिमुडा निर्माण मण्डल–1 के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2014 तक ₹517579.64 जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है तथा विस्तृत विवरण विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न है। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। यहाँ यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाना उचित होगा कि आवासीय बस्ती संजौली फेस–1 व 2 हेतु "जलपूर्ति योजना" माह 4/1999 से नगर निगम, शिमला को हस्तांतरित कर दी गई थी

जबकि दिनाँक 31.3.1999 तक उक्त बस्ती के शेष आंबटियों से जल प्रभार की ₹29803.64 निर्माण मण्डल द्वारा वसूल की जानी अपेक्षित थी जो कि दिनाँक 31.3.2014 तक भी वसूल नहीं की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष दर वर्ष शेष बकाया राशियों पर नियमानुसार दण्ड ब्याज की गणना भी नहीं की जा रही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि एक निश्चित दिनाँक को आबंटियों से ब्याज सहित कितनी राशि वसूली हेतु शेष है। अतः गत 15 वर्षों से ₹29803.64 शेष राशि की ब्याज सहित वसूली न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर चिन्ताजनक विषय भी है तथा निर्माण मण्डल की ऐसी लचर कार्यशैली से ऐसा प्रतीत होता है वह अपने विभिन्न आंबटियो से जल प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। अतः वर्णित अनियमितता के समाधान हेतु तुरन्त कदम उठाए जाने सुनिश्चित करें ताकि बकाया राशि की ब्याज सहित शीघ्र वसूली हो सके और अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	आवासीय बस्ती का नाम	जल प्रभार की दिनांक 31.3.14 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती संजौली फेस–1 व 2	29803.64
2	आवास बस्ती संजौली फेस–3	487776.00
	कुल योग	**₹517579.64**

(घ) दिनांक 31.03.2014 को ₹25.85 लाख रख रखाव प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेषः–

हिमुडा निर्माण मण्डल–1 के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.3.2014 तक ₹2585271/– रख रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है तथा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर संलग्न है। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	आवासीय बस्ती का नाम	रख रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.2014 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती संजौली फेस–1 व 2	30317
2	आवास बस्ती संजौली फेस–3	519245
3	आवास बस्ती रोहड़ू	2035709
	कुल योग	**₹2585271**

5 निर्माण मण्डल के लेखा में कैश सैटलमैन्ट सस्पेंस (CSSA) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹6.42 अन्य निर्माण मण्डलों के साथ निपटारे हेतु शेषः–

निर्माण मण्डल के CSSA लेखा शीर्षक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2014 को इस लेखा शीर्षक के डेबिट में ₹377683/– व क्रेडिट में ₹264240.67 शेष थे। यह राशियाँ हिमुडा के अन्य निर्माण मण्डलों के साथ समायोजन हेतु दिनांक 31.03.2014 तक शेष थी जिनका **परिशिष्ट "च"** के अनुसार विवरण नीचे दिया गया हैः–

क्र0सं0	निर्माण मण्डल का नाम	दिनाँक 01.04.13 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजित राशि	दिनाँक 31.03.2014 को समायोजन हेतु शेष राशि
1	निर्माण मण्डल–II शिमला–09	Cr. 291267	Dr. 130155.00	Cr. 116112.00
2	इलैक्ट्रिकल मण्डल शिमला	Cr. 119778.11	शून्य	Cr. 119778.11
3	निर्माण मण्डल परवाणु	Cr. 370796.76	Dr. 368380.00	Cr. 2416.76
4	निर्माण मण्डल धर्मशाला	Cr. 25933.80	शून्य	Cr. 25933.80
5	निर्माण मण्डल मण्डी	Dr. 377683.00	शून्य	Dr. 377683.00
			कुल योग	**Dr. 377683.00** **Cr. 264240.67**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित यह राशियाँ विगत कई वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित पड़ी है जबकि इनका समायोजन समय–2 पर किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु निर्माण मण्डल–1 द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस प्रकार CSSA लेखा शीर्षक के अन्तर्गत डेबिट में ₹377683/– व क्रेडिट में ₹264240.67 का दिनाँक 31.03.2014 तक समायोजन न करना अनियमित ही नहीं अपितु चिन्ता का विषय भी है। अतः यह मामला पुनः हिमुडा के शीर्ष अधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। साथ ही

सुझाव दिया जाता है कि CSSA के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का शीघ्र समायोजन सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6 ₹10.97 लाख की भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से उपयोग न करनाः–

स्टॉक लेखा एवं खाता बही में दिनांक 31.03.2014 को ₹3632706/– का स्टॉक शेष था। इस स्टॉक में से ₹1097236.66 की निर्माण सामग्री विगत कई वर्षों से शेष दर्शाई जा रही है जिसका निर्माण मण्डल–1 द्वारा **परिशिष्ट "छ"** पर विवरण उपलब्ध करवाया गया है। परिणामस्वरूप अनेक वर्षों से उक्त निर्माण सामग्री का उपयोग न होने से इसकी वास्तविक उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी होगी परन्तु भौतिक सत्यापन करते समय इसका कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बिना आवश्यकता के सामग्री का क्रय करके निधि को अवरूद्ध किया गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। ऐसे में वस्तुओं के Pileferage की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु निर्माण मण्डल–1 द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि अनुपयोगी निर्माण सामग्री का नियमानुसार निपटारा किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 वर्ष में ₹12.32 करोड़ के निर्माण कार्यों का निष्पादन हेतु स्थापना पर ₹10.94 करोड़ का व्यय किया जानाः–

निर्माण मण्डल के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादित किए गए निर्माण कार्यों के विरूद्ध प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 736.87**%** अधिक व्यय किया गया था जैसा कि निम्न प्रस्तुत सारणी से स्वतः ही स्पष्ट होता है। विगत वर्षों में भी स्थिति यथावत थी जोकि हिमुडा की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक संकेत नहीं है। अतः यह मामला हिमुडा के शीर्ष अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता हैः–

निर्माण कार्यों पर व्यय	वेतन एवं भत्तों पर व्यय	प्रशासनिक प्रभार की प्राप्त राशि	प्रशासनिक प्रभार की तुलना में स्थापना व्यय
123178745	109393365	13071719	736.87**%**

8 ₹9.74 लाख संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों में डेबिट रूप में पाया जानाः—

संविदाकरों की प्रतिभूति जमा खाता बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न संविदाकारों के व्यक्तिगत खातों में ₹973651/— की धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अन्तशेष डेबिट रूप में पाया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर दिया गया है। संविदाकारों की प्रतिभूति खाता में अन्तशेष का डेबिट होना यह दर्शाता है कि जितनी राशि संविदाकारो से धरोहर/प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई उससे अधिक राशि का भुगतान संविदाकार को कर दिया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन की जाए तथा ₹973651/— के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 संविदाकारों के विविध डिपोजिट लेखा शीर्षक में ₹0.81 लाख का डेबिट शेष पाया जानाः—

संविदाकारों के विविध डिपोजिट लेखा शीर्षक का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.03.2014 को विभिन्न संविदाकारो के व्यक्तिगत खातों में ₹80637/— का अन्तशेष डेबिट रूप में पाया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "झ"** पर दिया गया है। संविदाकारों के विविध डिपोजिट खाते का अन्तशेष डेबिट पाया जाना यह दर्शाया है कि जितनी राशि संविदाकारो से विविध डिपोजिट के रूप में प्राप्त की गई उससे अधिक राशि का भुगतान संविदाकारो को कर दिया गया जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन की जाए तथा ₹80637/— के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 बैंक समाधान विवरणः—

निर्माण मण्डल—1 शिमला—09 के दिनांक 31.03.2014 को बैंक समाधान विवरण का सम्पूर्ण ब्यौरा **परिशिष्ट "ञ"** पर दिया गया है। बैंक समाधान विवरण का अवलोकन करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गईः—

1 यूको बैंक, निगम बिहार, शिमला–02

(क) ₹6882.84 का दिनांक 31.03.2014 तक क्रेडिट न दिया जाना

चैक संख्या 595036 दिनांक 30.07.1986 ₹3842.55

चैक संख्या 406004 दिनांक 22.02.1989 ₹3040.29

उपरोक्त दोनों चैक यूको बैंक निगम बिहार में वर्ष 1986 और 1989 में जमा करवाए गए थे परन्तु आज तक बैंक द्वारा उक्त दोनों चैकों की राशि को निर्माण मण्डल के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया। इतनी पुरानी अवधि के चैकों को बैंक द्वारा किन कारणों से मण्डल के खातों में जमा नहीं किया गया इस तथ्य की कोई जानकारी मण्डल स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। इन दोनों चैकों की राशि जमा न होने के बारे में आज तक कोई जानकारी उपलब्ध न होना और न ही इस बारे में कोई छानबीन करना अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार एक चैक जारी करने की तिथि से 3 माह के लिए भुगतान हेतु मान्य होता है। इन चैकों के कालातीत होने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्म से ₹6882.84 की राशि को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास न करना मण्डल अधिकारियों की लचर कार्यशैली को दर्शाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु आज तक निर्माण मण्डल द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः यह मामला एक बार पुनः हिमुडा प्राधिकारियों के समक्ष आवश्यक एवं उचित अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। साथ ही इस प्रकरण में ठोस कार्यवाही न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) बैंक द्वारा ₹324/– RTGS चैकों के भुगतान पर बैंक चार्जिज के रूप में कटौती करनाः–

निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न संविदाकारों को उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के बदले RTGS व्यवस्था के माध्यम से जारी किए गए चैकों के भुगतान के एवज में बैंक खाते से ₹324/– बैंक शुल्क की कटौती की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः इन चार्जिज की राशि का अब रोकड़ बही में आवश्यक लेखाँकन किया जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाएः–

वा0सं0/दिनाँक	चैक संख्या/दिनाँक	चैक की राशि (₹)	बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि	अन्तर की राशि जो बैंक चार्जिज के रूप में डेबिट की गई (₹)
65/18.9.12	020209/18.4.12	181539	181555	16
13/3.5.12	020221/3.5.12	496231	496235	4
58/10.1.13	020180/10.1.13	335587	335621	34
62/10.1.13	020182/10.1.13	1000000	1000060	60
8/14.1.13	020191/14.1.13	251278	251312	34
9/1.2.13	020195/1.2.13	1000000	1000056	56
30/7.2.13	020200/4.2.13	639016	639076	60
96/22.2.13	888332/22.2.13	2021556	2021616	60
			कुल योग	**₹324**

(ग) बैंक द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान निर्माण मण्डल के बैंक खाते से आई0एस0एल0 (ISL) शुल्क के रूप में ₹108/– की कटौती की गई थी। इस राशि को दिनाँक 31.3.2014 तक न तो रोकड़ बही में लेखाकिंत ही किया गया था और न ही इस बारे में कोई छानबीन की गई थी कि यह राशि बैंक द्वारा किस सुविधा के लिए चार्ज की गई थी। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन करके ISL शुल्क की राशि का रोकड़ बही में उचित लेखाँकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2 यू0टी0आई0 बैंक कुसुम्पटी शिमला

(क) मण्डल द्वारा जारी किए गए चैकों की राशि से बैंक द्वारा ₹245/– अधिक डेबिट करनाः–

निर्माण मण्डल द्वारा जारी किए गए भुगतान चैकों में वर्णित राशि के विरूद्ध बैंक द्वारा ₹245/– मण्डल खाते से अधिक डेबिट की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः यह

मामला बैंक से उठाकर अधिक डेबिट की गई राशि को वापिस बैंक खाते में जमा करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

चैक संख्या/दिनाँक	चैक की राशि (₹)	बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि (₹)	अधिक डेबिट की गई राशि (₹)
040696/7.10.13	2325	2525	200
020761/30.3.13	1203	1248	45
		कुल योग	**245**

(ख) गलत चैक जारी करने के कारण ₹575/– का अधिक भुगतान करना:–

निर्माण मण्डल द्वारा ₹27305/– के स्थान पर ₹27880/– का चैक (संख्या 020752, दिनाँक 29.3.2013) जारी करके राशि का भुगतान कर दिया गया। परिणामस्वरूप ₹575/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित स्त्रोत से करके मण्डल खाते में जमा किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

3 पंजाब नैशनल बैंक, दी माल शिमला–01

बैंक द्वारा ₹104/– माह 4/1012, 5/2012 व 6/2012 के दौरान निर्माण मण्डल के खाते से आई0एस0ओ0 (ISO) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कम की गई थी। इस राशि को रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.2014 तक लेखाँकित नहीं किया गया था और न ही इस बारे में बैंक से कोई छानबीन की गई थी कि यह बैंक चार्जिज किस सुविधा के लिए बैंक द्वारा चार्ज किए गए थे। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाये व तदानुसार ISO चार्जिज को रोकड़ बही में लेखाँकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4 पंजाब नैशनल बैंक, दी माल शिमला–01

बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज ₹3520/– को दिनाँक 31.3.2014 तक रोकड़ बही में न लिया जाना:–

पंजाब नैशनल बैंक, दि माल शिमला–1 के बैंक समाधान विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 3.9.2013 व 3.3.2014 को क्रमशः ₹1757/– व ₹1763/– की राशि बैंक द्वारा निर्माण मण्डल के खाते में अर्जित ब्याज हेतु जमा की गई परन्तु दिनाँक 31.3.2014 तक रोकड़ बही में इस सम्बन्ध में कोई लेखाँकन नहीं किया गया था। अतः इस ब्याज राशि

का अब तुरन्त रोकड़ बही में लेखाँकन किया जाए। भविष्य में भी इस प्रकार की अर्जित ब्याज राशि का समय–समय पर रोकड़ बही में उचित लेखाँकन किया जाना सुनिश्चित करें।

11. विश्राम गृह शिमला (बी0सी0एस0) के सन्दर्भ में आय की तुलना में अत्याधिक व्ययः–

विश्राम गृह शिमला (बी0सी0एस0) की आय व व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि विश्राम गृह पर उससे प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान विश्राम गृह से प्राप्त आय, किए गए व्यय का केवल 12.95**%** थी जैसा कि निम्न प्रस्तुत सारणी से विदित होता है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि विश्राम गृह में ठहरने की दरों को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समान किया जाये जिससे व्यय की तुलना में आय में बढ़ौतरी हो सकेः–

वर्ष	**वर्ष के दौरान प्राप्त आय**	**वर्ष के दौरान किया गया व्यय**	**विश्राम गृह पर किए गए व्यय की तुलना में आय का प्रतिशत**
2013–14	50645	391203	12.95**%**

12 (क) ₹7568616/– के वेतन व भत्तों का कर्मचारियों को स्वीकृत पदों के बिना अनियमित भुगतानः–

निर्माण मण्डल–1 द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 135, दिनाँक 3.11.14 के प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ट"** के माध्यम से सूचित किया गया कि निर्माण मण्डल में बेलदारों का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है तथा स्वीकृत पदो के बिना इस श्रेणी के 48 कर्मचारी मण्डल में कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त वर्क इंस्पेक्टर, पलम्बर, टी/मेट आदि श्रेणी के कर्मचारियों के स्वीकृत/भरे गए पदों की सूचना प्रदान नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि निर्माण मण्डल में इन श्रेणियों के कर्मचारियों के पद भी स्वीकृत नहीं है। उपरोक्त सूचना के आधार पर वर्ष 2013–14 के वेतन बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल–1 में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार लगभग ₹7568616/–के वेतन एवं भत्तें का स्वीकृत पदो ंके बिना ही भुगतान कर दिया गया जोकि अपने आप में ही एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है जिसे हिमुडा के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। अतः स्वीकृत पदो ंके बिना कार्यरत्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तें

पर किए गए अनियमित व्यय बारे तथ्यों की पूर्ण छानबीन उपरान्त वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही किए गए अनियमित भुगतान का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की विशेष कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए और भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर गम्भीरतापूर्वक पूर्ण रूप से रोक लगाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्रमाँक	**श्रेणी**	**कर्मचारियों की सं0**	**वेतनमान**	**माह 4/13 में वेतन व भत्तों का भुगतान (₹)**	**वर्ष 2013–14 के दौरान वेतन एवं भत्तों का लगभग भुगतान (₹)**
1	वर्क इंस्पेक्टर	14	5910–20200+1900ग्रेड पे	204945	2459340 (204945X12)
2	बेलदार	38	4900–10680+1300ग्रेड पे	400328	4803936 (400328X12)
3	पलम्बर	1	5910–20200+1900 ग्रेड पे	14063	168756 (14063X12)
4	टी/मेट	1	4900–10680+1300 ग्रेड पे	11382	136584 (11382X12)
			कुल जोड़		**7668616**

(ख) अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की सूचित की गई संख्या से वास्तविक संख्या भिन्न पाई जानाः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 135, दिनाँक 3.11.14 के प्रतिउत्तर में अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या हिमुडा–आडिट–2014–3441, दिनाँक 11.11.2014 द्वारा निर्माण मण्डल–1 में विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत एवं भरे गए पदों की सूचना प्रदान की गई जोकि **परिशिष्ट "ठ"** पर संलग्न है। परिशिष्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित श्रेणियों के पदों की सूचना वास्तविकता सें भिन्न थी जिससे प्रतीत होता है कि अंकेक्षण को सूचना प्रेषित करने से पूर्व इसकी पूर्ण छानबीन नहीं की गई थी तथा बिना तथ्यों के सूचना प्रदान करने से

अंकेक्षण का अकारण ही समय नष्ट किया गया जोकि उचित नहीं है। अतः मात्र कार्यवाही हेतु तथ्यहीन सूचना प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अंकेक्षण को सूचना प्रेषित करने से पूर्व वास्तविकता की पूर्ण छानबीन सुनिश्चित की जाएः–

श्रेणी	**स्वीकृत पद**	**भरे गए पद**	**खाली पद**	**वेतन बिलों के अनुसार भरे गए वास्तविक पद जिनके विरूद्ध वेतन आहरित किया गया**
कनिष्ठ अभियन्ता	8	6	2	7
वरिष्ठ सहायक	5	4	1	5
रेखाकार	2	1	1	2
कनिष्ठ रेखाकार	2	0	2	1
चौकीदार	4	1	3	2
सफाई कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी)	1	3	0	1

13. मकान किराया भत्ते बारेः–

(क) ₹0.13 लाख मकान किराया भत्ते का अनियमित भुगतानः–

नियमानुसार यदि कोई पति व पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों और एक ही स्थान पर तैनात हों या एक ही मकान में रहते हों तो मकान किराए भत्ते का मासिक भुगतान प्रस्तुत विकल्प अनुसार किसी एक को ही किया जाएगा। साथ ही मकान किराए भत्ते का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व पति एवं पत्नी का संयुक्त घोषणा पत्र जो कि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित हो प्राप्त किया जाना अपेक्षित है परन्तु निर्माण मण्डल के वेतन बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों के मामले में इस नियम का पूर्णतया पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार अपेक्षित घोषणा पत्र प्राप्त किए बिना ही वर्ष 2013–14 के दौरान निम्न कर्मचारियों का 13000/– के मकान किराये भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम का पूर्णतया पालन करते हुए मकान किराए भत्ते का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए तथा यथानुसार भत्ते के भुगतान का नियमन करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

कर्मचारी का नाम व पदनाम	कर्मचारी के पति/पत्नी का नाम	विभाग जिसमें पति/पत्नी कार्यरत्त है	वर्ष 2013–14 के दौरान मकान किराए भत्ते की भुगतान की गई राशि (₹)
श्री राजिन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक	श्रीमती परवीन शर्मा	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	5400
श्री किशोरी लाल, माली	श्रीमती कांता देवी	इन्दिरा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय	7600
		कुल योग	**13000**

(ख) श्री राजिन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक को ₹300/– का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान वेतन बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि श्री राजिन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक जोकि हिमुडा उप–मण्डल ठियोग में कार्यरत्त है को वित्त विभाग (विनियम) के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन(सी) बी (7) 1/2012, दिनाँक 28.02.2012 में वर्णित मकान किराया भत्ते की दरो से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण ₹300/– मकान किराया भत्ते का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न वर्णित है। अतः उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के विपरीत मकान किराया भत्ते का अधिक दर से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से तुरन्त की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वेतनमान	मूल वेतन (ग्रेड पे को छोड़कर)	अवधि	प्रतिमाह देय मकान किराया भत्ता	वास्तव में किया गया भुगतान	अधिक भुगतान
10300–34800+4400 ग्रेड पे	12850	1.1.14 से 30.6.14	400	450	300 (50X6 माह)

14 ₹10193/– का परिवार नियोजन भत्ते का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के वेतन बिलों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को ₹10193/– का परिवार

नियोजन भत्ते के रूप में अनियमित भुगतान किया गया। वित्त विभाग (विनियम) के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी) ए (3)–6/80, दिनाँक 8.12.1981 व फिन (सी0)ए (3)–8/88, दिनाँक 24.7.2013 के अनुसार परिवार नियोजन भत्ते की दर कर्मचारी के पद के वेतनमान के प्रथम/न्यूनतम वेतन वृद्धि के बराबर जोकि दिनाँक 1.1.1996 से लागू वेतनमान पर आधारित होगी, परन्तु उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापनों में दिये गए प्रावधानों के विपरीत हिमुडा द्वारा निम्न कर्मचारियों के पक्ष में परिवार नियोजन भत्ते को देय दर से अधिक दर पर स्वीकृत करके भुगतान किया जा रहा है जोकि अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। अतः पाई गई गम्भीर अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹10193/– अनियमित भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली करने के साथ–2 भविष्य में इसे सही दर से आहरित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्रमाँक	**कर्मचारी का नाम व पदनाम**	**1.1.96 से लागू वेतनमान**	**अनियमित भुगतान की अवधि**	**प्रतिमाह परिवार नियोजन की देय दर**	**भुगतान की राशि (₹)**	**अधिक/अनियमित भुगतान (₹)**
1	श्री वेदप्रकाश, चौकीदार	2720–100–3220–110–3660–120–4260	1.1.06 से 31.12.14 (108 माह)	100	150	5400 (108X50)
					योग	**5400**
2	श्री विश्वमित्र, बेलदार	2520–100–3220–110–3660–120–4140	2.2.11 से 28.2.11 (27 दिन)	–	193	193
			1.3.11 से 31.12.14 (46 माह)	100	200	4600 (100X46)
					योग	**4793**
				कुल योग (1+2)		**₹10193**

श्री वेद प्रकाश, चौकीदार को परिवार नियोजन भत्ते की स्वीकृति सम्बन्धी प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका खण्ड–1 के पृष्ठ 40 पर दर्ज है परन्तु इसमें कार्यालय आदेश संख्या व दिनाँक उल्लेखित नहीं है जबकि श्री विश्वामित्र, बेलदार को उक्त भत्ते की स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यालय आदेश संख्या हिमुडा/ई0पी0एफ0 श्री विश्वमित्र, बेलदार–6018–21, दिनाँक 1.5.2011 की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका खण्ड–1 के पृष्ठ 18 पर दर्ज है।

15 अधिशासी अभियन्ता के साथ Attached Vehicle ₹9000/– की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 135, दिनाँक 3.11.14, 145 दिनाँक 26.11.14, 154 दिनाँक 12.12.14 व 162 दिनाँक 23.12.14 द्वारा निर्माण मण्डल–1 के वाहनों की लॉग बुक्स माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे अपेक्षित अभिलेख की जाँच न हो सकी। इससे प्रतीत होता है कि मण्डल कार्यालय आवश्यक अभिलेख को अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे गम्भीर नहीं है। अतः सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। चर्चा के दौरान मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को मौखिक रूप से अवगत करवाया गया कि निर्माण मण्डल–1 के पास केवल एक वाहन (संख्या एच0पी0–51–1245 जिप्सी) है जोकि मण्डल के अधिशासी अभियन्ता के साथ Attached है। वित्त विभाग (व्यय) के पत्र संख्या फिन–1 (सी)–14–1/92 खण्ड–II, दिनाँक 8.9.2010 में दी गई सारणी के क्रम संख्या 02 के अनुसार शिमला में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ Attached Vehicle होने पर उनसे प्रति माह न्यूनतम ₹750/– की वसूली की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013–14 में श्री डी0आर0 गाँधी, अधिशासी अभियन्ता के वेतन से इस प्रकार की कोई भी वसूली, जो ₹9000 (750X12) देय बनती थी नहीं की गई थी जोकि उक्त प्रावधान की स्पष्ट अवहेलना है। अतः इस अनियमितता का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित अधिकारी से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त शेष अवधि की देय वसूली योग्य राशि की गणना अपने स्तर पर करके उक्त अधिकारी से तदानुसार वसूली करने के साथ–2 भविष्य में वेतन से निर्धारित दर से माहवार नियमित कटौती की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

16 पानी के बिल पर ₹1923/– के अधिभार के रूप में अनियमित भुगतानः–

वाऊचर संख्या 61, दिनाँक 21.3.2014 द्वारा विश्राम गृह, न्यू शिमला के अवधि 1.9.2013 से 28.2.2014 के पानी के बिल ₹62290/– का नगर निगम शिमला को भुगतान किया गया। इस राशि में गत अवधि 1.3.2013 से 31.8.2013 तक के पानी के बिल ₹24093/– (₹1923 अधिभार सहित) की राशि भी शामिल थी जिसका भुगतान निर्धारित समय पर नहीं किया था। इस प्रकार ₹62290/– के भुगतान में गत बिल के अधिभार (Surcharge)

₹1923/– के अनियमित भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

17 बिजली बिल पर ₹5002/– का विविध शुल्क का अनियमित भुगतानः–

विश्राम गृह, न्यू शिमला के "बिजली बिल रजिस्टर" का अवलोकन करने पर पाया गया कि मीटर संख्या 11121NSAH15000001 के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को निम्नलिखित बिलों के भुगतान में शामिल ₹5002/– की विविध शुल्क (Sundry Charges) की राशि का भुगतान किया गया। इन विविध शुल्क के तथ्यों की जानकारी निर्माण मण्डल के पास उपलब्ध नहीं थी। अतः यह मामला हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से उठाया जाये तथा तथ्यों की जानकारी जुटा कर विविध शुल्क की राशि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसका समायोजन आगामी बिजली बिल में सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः–

बिल संख्या	दिनाँक	बिल की भुगतान की गई राशि (₹)	विविध शुल्क जो बिल राशि में शामिल था (₹)
111226319269	13.5.2013	16484	1012
111232988040	12.2.2014	24570	3990
	कुल जोड़		**₹5002**

18 ₹2726/– के वाऊचर उपलब्ध न करवाने बारेः–

श्री आर0डी0 शर्मा, सहायक अभियन्ता–II, उप–मण्डल संजौली द्वारा उनको समय–2 पर दिये गए स्टाफ अग्रिम में से ₹10761/– के व्यय का समायोजन प्रस्तुत किया गया (स्थापना खाता बही 2013–14 के पृष्ठ 321 व 322 पर) जिसे जरनल वाउचर संख्या 6 आय 3/2014 समायोजित किया गया। जरनल वाउचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उप वाउचर संख्या 17, दिनाँक 26.3.2014 द्वारा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को ₹2726/– का बिजली के बिल का भुगतान दर्शाया गया परन्तु भुगतान के सम्बन्ध में कोई भी बिल/वाउचर अभिलेख में संलग्न नहीं थे जिसके अभाव में किए गए व्यय की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके अंकेक्षण से सत्यापना सुनिश्चित की जाए।

19 जरनल वाउचर संख्या 4 ऑफ 3/2014, ₹4691/– का अनियमित भुगतानः–

श्री गिरीश शर्मा, सहायक अभियन्ता, उप मण्डल ठियोग द्वारा उनको समय–2 पर दिए गए स्टाफ अग्रिम में से उनके द्वारा स्टेशनरी इत्यादि क्रय करने हेतु ₹4691/– के किए गए व्यय का समायोजन प्रस्तुत किया गया (स्थापना खाता बही 2013–14 के पृष्ठ 329 पर) जिसे उपरोक्त जनरल वाउचर द्वारा समायोजित किया गया। जरनल वाउचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उपरोक्त व्यय के बिल/वाउचर वर्ष 2011 से सम्बन्धित थे जिन्हें लगभग ढाई से तीन वर्ष पश्चात मार्च, 2014 में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पारित करके समायोजित किया गया जिनका विवरण नीचे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 78 में दिये गये प्रावधान अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के दावे कालातीत माने जाते है जिसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु उपरोक्त प्रकरण में इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी जोकि उक्त प्रावधान की स्पष्ट अवहेलना है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमाँक	**बिल संख्या**	**दिनाँक**	**मद जिससे क्रय की गई**	**मद का विवरण**	**व्यय की गई राशि**
1	048376	5.4.11	मै0 वैन चुम कंसल्टेंट, दी माल शिमला	फोटोस्टेट	495
2	048377	5.4.11	मै0 वैन चुम कंसल्टेंट, दी माल शिमला	फोटोस्टेट	330
3	879	1.6.11	मै0 हिमन्द्राज फोटोस्टेट रामपुर	फोटोस्टेट	31
4	048378	5.4.11	मै0 वैन चुम कंसल्टेंट, दी माल शिमला	फोटोस्टेट	280
5	048401	5.4.11	मै0 वैन चुम कंसल्टेंट, दी माल शिमला	फोटोस्टेट	165
6	शून्य	6.4.11	मै0 ज्वालामुखी इंटरप्राईजिज, कुसुम्पटी	फोटोस्टेट	496

7	43772	3.7.11	मै0 शिमला स्टेशनर्स, लोअर बाजार	सील एवं गलूस्टिक	100
8	053569	6.8.11	मै0 वैन चुम कंसल्टेंट, दी माल शिमला	फोटोस्टेट	1329
9	43988	4.8.11	मै0 शिमला स्टेशनर्स, लोअर बाजार	ग्राफ शीटस	25
10	16352	29.8.11	मै0 इमेज मार्केटिंग, कुसुम्पटी	अमोनिया रोल	240
11	1506	3.12.11	मै0 फयूचर कांसेप्ट एसोसिएट, कुसुम्पटी	फोटोस्टेट	200
12	शून्य	28.3.11	श्री बी0एस0 ठाकुर, एडवोकेट, रामपुर	एडवोकेट की गवाही फीस	1000
				कुल जोड़	**₹4691**

20 ₹593/– यात्रा भत्ते का अनुचित भुगतानः–

वाउचर संख्या 47, दिनाँक 15.3.2014 द्वारा श्री गिरीश शर्मा, सहायक अभियन्ता, हिमुडा उप–मण्डल ठियोग को कुल ₹13848/– का यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया। अधिकारी द्वारा यात्रा के दौरान निजी वाहन का प्रयोग किया गया था। हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6–4/74–वित्त (विनियम), दिनाँक 25.4.1975 जिसे कार्यालय ज्ञापन संख्या वित्त (सी बी (7)–14/98, दिनाँक 8.12.1998 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार "When an officer returns to headquarters on the same day, he will draw Daily Allowance at journey time trades irrespective of the fact that the journey was performed to an expensive locality." परन्तु उपरोक्त प्रावधान की अवहेलना करके सहायक अभियन्ता को यात्रा के स्थान पर ठहराव की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान कर दिया गया जो कि अनियमित है। परिणामस्वरूप माह 1/2014 व 2/2014 के दौरान की गई यात्रा पर ₹593/– का अनियमित भुगतान किया जिसका विवरण निम्न वर्णित है। अतः अनियमित भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसकी वसूली उक्त अधिकारी से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए:–

यात्रा की तिथि व समय	यात्रा का विवरण	देय दैनिक भत्ता (5000 ग्रेड पे) (₹)	वास्तविक भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
3.1.14 (प्रातः 8:30 से सांय 5:30 तक)	ठियोग से चौपाल एवं वापसी	59 (84X70%)	126	67
4.1.14 (प्रातः 9 से सांय 9:30 तक)	ठियोग से कालका व वापसी	84	180	96
7.1.14 (प्रातः 9 से सांय 7 तक)	ठियोग से नगान एवं वापसी	59 (84X70%)	126	67
8.1.14 (सांय 12:30 से सांय 3:30 तक)	ठियोग से रामपुर व ठहराव	126 (180X70%)	180	54
13.1.14 (सांय 1 से सांय 5 बजे तक)	ठियोग से रोहड़ू व ठहराव	126 (180X70%)	180	54
18.1.14 (प्रातः 9 से सांय 7 बजे तक)	ठियोग से नगान एवं वापसी	59 (84X70%)	126	67
6.2.14 (प्रातः 9 से सांय 7 बजे तक)	ठियोग से नगान एवं वापसी	59 (84X70%)	126	67
20.2.14 (सांय 1 से सांय 5 बजे तक)	ठियोग से रोहड़ू व ठहराव	126 (180X70%)	180	54
24.2.14 (प्रातः 9 से सांय 7 बजे तक)	ठियोग से नगान एवं वापसी	59 (84X70%)	126	67
			कुल जोड़	₹593

21 श्री ज्ञान चन्द, बेलदार को देय अर्जित अवकाश से अधिक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करके छुट्टियों के वेतन का अनियमित रूप से अधिक भुगतानः—

श्री ज्ञान चन्द बेलदार की सेवा पुस्तिका में रख रखाव किए गए अर्जित अवकाश खाते का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि उन्हें अवधि 24.09.12 से 10.10.12=17 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था जबकि निम्न प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट होता है कि

दिनाँक 24.09.12 को उनके अर्जित अवकाश खाते में केवल 14 दिनों का ही अर्जित अवकाश देय थाः–

Particulars	**Credit of leave (in days)**	**Leave availed (in days)**	**Balance (in days)**
Opening balance as on 27.11.11			23
EL availed 28.11.11 to 03.12.11		06	17
Advance Cr. On 01.01.12	15		32
Advance Cr. On 01.07.12	15		47
EL availed 03.07.12 to 04.08.12		33	14
EL availed 24.09.12 to 10.10.12		17	(-)03

इस प्रकार उन्हें 03 दिनों का अर्जित अवकाश देय अर्जित अवकाश से अधिक स्वीकृत किया गया तथा परिणामस्वरूप Leave Salary का भी अनियमित रूप से अधिक भुगतान हुआ। इस अनियमितता कारण उन्हें कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA-E-2074-75 dated 28.07.14 (P-41 of s/book) द्वारा अवधि 28.11.11 से 03.12.11=06 दिनों के स्वीकृत अर्जित अवकाश की प्रविष्टि अवकाश खाते में अवधि 09 से 17.05.14=9 दिनों के स्वीकृत अर्जित अवकाश की प्रविष्टि के बाद करने के कारण हुई है। अतः इस अनियमितता का समाधान अब 3 दिनो की leave of the kind due स्वीकृत करके एवम अधिक भुगतान की गई Leave Salary की वसूली सुनिश्चित करते हुए किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 कार्य का नामः–

C/O High School under RMSA at Nagan (Kokhai) Distt. Shimla (HP) (Sh:C/O Block of 2 Nos class rooms i/C internal ws & SI (balance work thereof)

ठेकेदार का नामः–श्री हरी भूषण ठाकुर, गाँव व डाकघर बागी, कोटखाई, शिमला

अनुबन्ध संख्याः– 14 वर्ष 2013–14

चलत बिल संख्याः– प्रथम

वाउचर संख्याः– 93 दिनाँक 29.03.14=₹776232/–

माप पुस्तिका संख्याः– 1722/12 पृष्ठ 72 से 78 तक (Abstract of cost)

(क) ठेकेदार को अतिरिक्त मिट्टी की ढुलाई की एवज में ₹73757/– का अनियमित भुगतानः–

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 2 यांत्रिक यातायात व हैड लोड द्वारा खुदाई की गई अतिरिक्त (Surplus) मिट्टी की ढुलाई का कार्य की कुल 1306.96 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹180/–प्रति घन मीटर की दर से ₹235252.80 का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः 1722/12 पृष्ठ–73) परन्तु कुल में से 409.76 घन मीटर कार्य प्रमात्रा (कार्य मद संख्या 1 के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा वर्तमान में निष्पादित भूमि कटाई का कार्य) की सम्पूर्ण लीड तक ढुलाई का कार्य, कार्य की मद संख्याः 1 में पहले से ही शामिल था जैसा की निविदा में वर्णित इस मद के nomenclature से स्वतः हो जाता है, Cutting in earth work…." And disposal of all excavated unserviceable material in all leads & lifts including through mechanical transport." अतः इसके दृष्टिगत कार्य की मद संख्याः 2 को निविदा में शामिल करना तथा इस कार्य हेतु ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान करने का कोई औचित्य प्रतीत होता है तथा ऐसा करके ठेकेदार को सम्बन्धित deposit work की cost पर ₹73756.80 (409.76 घन मीटरx₹180) का अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹2898/– का अधिक भुगतानः–

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 7 P/L CC 1:4:8 in F/P की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 22.42 घन मीटर हेतु ₹2300 प्रति घन मीटर की दर से ₹51566 का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1722/12 पृष्ठ 75 abstract of cost of 1st R/bill) इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 1777/14 पृष्ठ 14 व 15 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों के अवलोकन से विदित हुआ कि कुल कार्य प्रमात्रा 22.42 घन मीटर में से 10.65 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का कार्य Column A1 to A7 तथा A1B1B1 व A7B7B7 के मध्य plinth beam के नीचे R/wall की नीव में 0.45 मीटर ऊँचाई तक किया गया था जिसमें निम्न विवरण अनुसार कुल 0.45 मीटर ऊंचाई हेतु लम्बाई की जो औसत Column A1 to A7 में ली गई थी वह सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि Column A1 to A7 में footing का कार्य करते समय पहले ही 0.15m, 0.20m व 0.10m ऊँचाई में क्रमश% P/L CC 1:4:8, व 1:2:4 व m-20 mix का कार्य विभिन्न लम्बाई चौडाई में किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1777/14

पृष्ठ–4 से 7) तथा उसी अनुपात में R/wall की नीव में 0.45 मीटर ऊँचाई तक P/L CC 1:4:8 in F/P का कार्य करते हुए लम्बाई की औसत गणना में ली जानी अपेक्षित थी। अतः इस अनियमितता के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार 1.26 घन मीटर का ₹2300 प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹2898/– की राशि का भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका व पृष्ठ सं0	अनुबन्ध की कार्य मद संख्या व विवरण	Column का विवरण	गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा (घन मी0)	दर प्रति घन मीटर (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
1777/14 पृ0 14 व 15	7 P/L CC 1:4:8 in F/P in between column	A1-A2	1x3.41+4.97/2x1.00x0.45= 1.88cum	1x3.41x1.00x0.15=0.51cum 1x3.71x1.00x0.20=0.74cum 1x4.77x1.00x0.10=0.48 cum deduct 0.09 cum (Volume of m-20 mix)=0.39 cum Total=1.64 cum	0.24		
		A2-A3	1x1.84+3.32/2x1.00x0.45= 1.16 cum	1x1.84x1.00x0.15=0.28 cum 1x2.14x1.00x0.20=0.43 cum 1x3.12x1.00x0.10=0.31 cum deduct 0.07 cum (volume of m-20 mix)=0.24 cum Total= 0.95 cum	0.21		
		A3-A4	1x1.92+3.32/2x1.00x0.45= 1.18 cum	1x1.92x1.00x0.15=0.29 cum 1x2.22x1.00x0.20=0.44 cum 1x3.12x1.00x0.10=0.31 cum deduct 0.07 cum (Volume of m-20 mix)=0.24 cum Total=0.97 cum	0.21		
		A4-A5	1x2.03+3.43/2x1.00x0.45= 1.23 cum	1x2.03x1.00x0.15=0.31 cum 1x2.33x1.00x0.20=0.47 cum 1x3.23x1.00x0.10=0.32 cum Deduct 0.07 cum (Volume of m-20 mix)=0.25 cum Total 1.03 cum	0.20		
		A5-A6	1x2.00+3.40/2x1.00x0.45= 1.21 cum	1x2.00x1.00x0.15=0.30 cum 1x2.30x1.00x0.20=0.46 cum 1x3.20x1.00x0.10=0.32 cum Deduct 0.07 cum (Volume of m-20 mix)=0.25 cum Total 1.01 cum	0.20		
		A6-A7	1x1.60+3.00/2x1.00x0.45= 1.03 cum	1x1.60x1.00x0.15=0.24 cum 1x1.90x1.00x0.20=0.38 cum 1x2.80x1.00x0.10=0.28 cum Deduct 0.07	0.20		

				cum (Volume of m-20 mix)=0.21 cum Total =0.83 cum			
		A1B1B1	1x0.44+1.77/2x1.00x0.45=0.50 cum	1x0.44+1.77/2x1.00x0.45=0.50 cum	Nil		
			1x1.94x1.00x0.45=0.87 cum	1x1.94x1.00x0.45=0.87 cum	Nil		
		A7B7B7	1x0.53+1.77/2x1.00x0.45/2 =0.52 cum	1x0.53+1.77/2x1.00x0.45=0.52 cum	Nil		
			1x2.38x1.00x0.45=1.07 cum	1x2.38x1.00x0.45=1.07 cum	Nil		
			10.65 cum	**9.39 cum**	**1.26**	**2300**	**2898**

(ग) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का अनुबन्धित मात्रा से अधिक निष्पादन करवाने पर ठेकेदार को ₹248729/– का अनियमित भुगतानः–

निर्माण कार्य के आंबटन की शर्तानुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य की विभिन्न मदों की अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा में कोई विचलन नहीं किया जायेगा परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरण अनुसार निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा से अधिक का निष्पादन करवाया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति बारे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे संशय होता है कि निर्माण कार्य के आंबटन की शर्त की उल्लंघना करते हुए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ही अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा से अधिक का निर्माण कार्य निष्पादित करवाकर ठेकेदार को ₹248729/– की राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा वर्णित अनियमित भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमाँक	अनुबन्ध की मद सं0	कार्य मद का विवरण	अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक निष्पादित कार्य की प्रमात्रा व प्रतिशतता	कार्य निष्पादन दर (₹) में	अनियमित भुगतान की राशि (₹) में
1	1	Cutting in earth work	326.85 cum	409.76 cum	82.91cum/25.37%	120	9949

2	3	Excavation on foundation & trenches	87.56 cum	222.63 cum	135.07 cum/154.26%	140	18910
3	2	Extra for carriage of surplus excavated earth	979.24 cum	1306.76 cum	327.52cum/33.45%	180	58954
4	5	From work (d) circular pillar	9.42 sqm	13.66 sqm	4.24sqm/45.01%	300	1272
5	7	P/L CC 1:4:8 in F/P	19.32 cum	22.42 cum	3.10cum/16.05%	2300	7130
6	15	R/R Massonary in F/P for R/wall etc	26.23 cum	110.96 cum	84.73 cum/323.03%	1800	152514
					कुल जोड़		**₹248729**

(घ) (i) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹14107/– की रायल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ)6–5/2006 दिनाँक 16.01.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किये गये पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशोनानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके प्राधिकरण खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मंडल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलों से रॉयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप से ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध की कार्य मद सं0	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रॉयल्टी की दर (प्रति टन ₹ में)	रॉयल्टी की देय राशि (₹) में
15	RR Masonary in F/P & R/Wall etc in CM 1:6	110.96 cum	152.02 cum (110.96x1.37)	352.68 (152.02x2.32)	40	14107

(ii) इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी इत्यादि की एवज में सरकार को अदा, की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र "एम" ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में ही जमा करवाई गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की अपने स्त्तर पर गणना करके सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) कटिंग इन अर्थ वर्क/भूमि की खुदाई से निकाले गए पत्थरों की वसूली न करके ठेकेदार को सम्भावित ₹26371/– का अनुचित लाभ पहुँचानाः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 कटिंग इन अर्थ वर्क की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 409.76 घन मीटर हेतु ₹120 प्रति घन मीटर की दर से ₹49171.20 तथा कार्य मद संख्या :3 Excavation in foundation & trenches की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 222.63 घन मीटर हेतु ₹140/– प्रति घन मीटर की दर से ₹31168.20 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था परन्तु खुदाई से प्राप्त पत्थरों का कोई भी उल्लेख न तो सम्बन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिका, एम0ए0एस0 इत्यादि में ही किया गया था और न ही ठेकेदार को पत्थरों की आपूर्ति करके ही कोई वसूली की गई थी जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार वर्णित खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा की प्राप्ति दर्शाई जानी अपेक्षित थी वह भी ऐसी

स्थिति में जब भूमि की कटिंग/खुदाई का कार्य पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा हो तथा ठेकेदार द्वारा कार्य मद के कार्यन्वयन हेतु quote की गई दर को भूमि की pick jumper, hard rock, chessling व wedging तथा ब्लास्टिंग प्रकार की कटिंग/खुदाई की विभागीय Justification दर द्वारा justify किया गया हो। इस प्रकार HPSR 2009 के अनुसार Ordinary Quarried Stone की दर ₹350/– प्रति घन मीटर है तथा इस पर ठेकेदार का overall premium 19.03% जोड़कर यह दर ₹417/– प्रति घन मीटर बनती है तथा परिणामस्वरूप 63.24 घन मीटर (409.76+222.63=632.39 घन मीटरx10%) पत्थर की मात्रा को स्टॉक में न लेकर/ठेकेदार को जारी न करके न्यूनतम ₹26371/– की हिमुडा को हानि/ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 कार्य का नामः–

C/O High School under RMSA at Sush (Anni) Distt. Kullu (HP) (Sh:C/O Block of 2 Nos class rooms I/C internal WS & SI (balance work thereof)

ठेकेदार का नामः–श्री देवेन्द्र कुमार रावत, गाँव लससी व डाकघर छतु, जिला मंडी (हि0प्र0)

अनुबन्ध संख्याः– 4 वर्ष 2011–12

चलत बिल संख्याः– पाँचवां

वाउचर संख्याः– 93 दिनाँक 31.03.14=₹758283/–

माप पुस्तिका संख्याः– 1697/10 पृष्ठ 73 से 84 तक (Abstract of cost)

(क) RCC या सीमेन्ट कंक्रीट पर सीमेन्ट कंक्रीट फर्श डालने के कार्य से पूर्व सीमेन्ट स्लरी का प्रयोग करने सम्बन्धी कार्य हेतु ठेकेदार को ₹2647/– का अनियमित भुगतानः–

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 9 Applying cement slurry on RCC slab or cement concrete work using 2.75Kg of cement per sqm of floor area before laying cc flooring I/C roughening, cleaning of the concrete surface complete I/C carriage of materials in all leads & lift. की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 139.34 घन मीटर हेतु ₹19 प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹2647.46 का भुगतान किया गया था। (माप पुस्तिका संख्या 1697/10 पृष्ठ–76 Abstract of cost of 5th R/bill) इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 1698/10 पृष्ठ

55 पर दर्ज रिकोर्ड प्रविष्टियों के अवलोकन से विदित हुआ कि यह कार्य प्रथम तल पर मार्बल चिप्स फ्लोरिंग कार्य के बदले प्रतिस्थापित कार्य मद P/L Dura stone Vitrified Tiles (any size & colour) in floor, treads of steps and lavendary level in CM 1:3 फ्लोरिंग से पहले निष्पादित किया गया था जोकि कार्य मद के अन्तर्गत अपेक्षित ही नहीं था क्योंकि यह कार्य केवल सीमेन्ट कंक्रीट फर्श डालने के कार्य से पूर्व ही अपेक्षित था न कि Dura Stone Vitrified Tiles फ्लोरिंग की कार्य मद से पहले। अतः संशय उत्पन्न होता है कि या तो इस मद का कार्य स्थल पर वास्तविकता में कार्यान्वयन ही नहीं हुआ है या फिर कार्य मद के बाहर अवाँछित कार्य करवाकर ठेकेदार को ₹2647.46 (139.34 घन मीटर x₹19) का अनियमित भुगतान किया गया है जिसकी पूर्ण छानबीन करवाकर नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) Profile "A" (single leaf) की अपेक्षा Profle "B" (Double leaf) में कार्य मद pressed steel door frames का अवाँछित कार्य करवाकर ठेकेदार को ₹1435/– का सम्भावित अनियमित भुगतानः–

इस कार्य के मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या HIMUDA (DB) RMSA/10 Vol-1-8 दिनाँक 03.01.11 द्वारा अनुमोदित अनुमान संख्या 29 of 2010-11 for ₹3670916/– के अनुसार अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 37 pressed steel door frames का कार्य Profile "A" (Single leaf) में कुल 71.76 RMT तथा Profile "B" (Double leaf) में 323.30 RMT किया जाना अपेक्षित था। वर्णित कार्य मद की माप पुस्तिका संख्या 1697/10 व 16987/10 के क्रमशः पृष्ठ 63 व 28 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों के अवलोकन से विदित हुआ कि Profile "a" (Single leaf) में अनुबन्धित कार्य सहित सारा कार्य Profile "B" (Double leaf) में ही निष्पादित किया दर्शाया गया था जिसकी कुल कार्य प्रमात्रा 573.32RMT का ₹370/375 की दर से ₹212128.40 का ठेकेदार को भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1697/10 पृष्ठ–80) इससे स्पष्ट विदित होता है कि Profile "A" (Single leaf) की कुल 71.76RMT अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा का कार्य भी अवाँछित तौर पर Profile "B" (Double leaf) में ही निष्पादित किया दर्शाया कर ठेकेदार को ₹1435.20 (71.76RMTx20(370-350) का सम्भावित अनियमित भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वास्तविक कार्य प्रमात्रा व किए गए अनियमित भुगतान की राशि की गणना अपने स्तर

पर करके इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही न करने के कारण ₹334940/– की सम्भावित रूप से हिमुडा को परोक्ष हानिः–

उक्त कार्य के निष्पादन हेतु आंबटन पत्र संख्या हिमुडा/A-2(851)/2011, 860-67 दिनाँक 30.05.11 के माध्यम से ठेकेदार से किए गए अनुबन्ध द्वारा एक वर्ष का समय निर्धारित था जिसके अनुसार यह कार्य आरम्भ तिथि 14.06.11 के उपरान्त दिनाँक 13.06.11 को पूर्ण हो जाना चाहिए था परन्तु यह कार्य अंकेक्षण अवधि दिनाँक 31.03.14 तक भी प्रगति पर ही था जबकि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय/सीमा समाप्त होने के उपरान्त भी लगभग तीन गुणा समय अर्थात तीन वर्ष बीत चुके है। इसके बावजूद भी ठेकेदार के विरूद्ध कार्य पूर्ण करने में विलम्ब करने हेतु अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जिसके अनुसार टेंडर ₹3349400/– के अधिकतम 10**%** तक की दर से दंड शुल्क/मुआवजा ठेकेदार से वसूल किया जाना अपेक्षित था जोकि ₹334940/– बनता है। अतः अनुबन्ध की उक्त धारा के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही न करने के कारण जहाँ निर्माण कार्य की पूर्णता में विलम्ब से सम्बन्धित लाभार्थी जनता को इससे प्राप्त होनें वाले लाभों से वंचित होना पड़ रहा है वहीं निक्षेत्र निर्माण कार्य की कीमत पर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाकर हिमुडा को परोक्ष रूप में ₹334940/– की हानि हुई है जिस सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए अन्यथा वर्णित हानि की राशि को सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए हानि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का अनुबन्धित मात्रा से अधिक निष्पादन करवाने पर ठेकेदार को ₹597222/– का अनियमित भुगतानः–

निर्माण कार्य के आंबटन की शर्तानुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य की विभिन्न मदों की अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा में कोई विचलन अनुज्ञये नहीं होगा परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरण अनुसार निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा से अधिक का निष्पादन करवाया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित सक्षम

प्राधिकारी की पूर्व अनुमति बारे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे संशय होता है कि निर्माण कार्य के आंबटन की शर्त की उल्लंघना करते हुए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ही अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा से अधिक का निर्माण कार्य निष्पादित करवाकर ठेकेदार को ₹597222/– की राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा वर्णित अनियमित भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्रमाँक	अनुबन्ध की मद सं0	कार्य मद का विवरण	अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक निष्पादित कार्य की प्रमात्रा व प्रतिशतता	कार्य निष्पादन दर (₹) में	अनियमित भुगतान की राशि (₹) में
1	1	Cutting in earth work	253.80 cum	1408.54 cum	1154.74 cum/454.98%	127	146652
2	2	Excavation in foundation & trenches	87.56cum	125.79 cum	38.23 cum/43.66%	205	7837
3	5	Form Work (b) flat surfaces	395.05 sqm	573.56sqm	178.51sqm/45.19%	270	48198
		(c) beams	264.17sqm	336.10sqm	71.93sqm/27.23%	200	14386
		(d) Circular pillar	9.42sqm	33.61sqm	24.19sqm/256.79%	350	8467
		(e) Stair cases	26.96sqm	32.22sqm	5.26sqm/19.51%	225	1184
4	10	P/L CC M-20mix (b) suspended floor	72.26 cum	83.31 cum	11.05 cum/15.29%	4000	44200
		(c) Columns	16.70 cum	22.29 cum	5.59 cum/33.47%	4200	23478
		(d) Stair cases	3.36 cum	5.68 cum	2.32 cum/69.05%	4200	9744
5	13	2nd class brick work in	48.06 cum	74.90 cum	26.84cum/55.85%	5900	158356

		superstructure					
6	37	P/F Pressed steel door frames (Profile "B")	330.30RMT	573.32RMT	240.02RMt/72.67%	375	90008
7	41	6mm thick cement plaster	395.05 sqm	422.30sqm	27.25sqm/6.90%	85	2316
8	42	15mm thick cement plaster	530.98sqm	845.36sqm	314.38sqm/59.21%	115	36154
9	43	20mm thick cement plaster	530.98 sqm	577.22sqm	46.24sqm/8.71%	135	6242
					Total		**₹597222**

24 कार्य का नामः—

C/O Directorate building for elementary education at lalpani (Sh: C/O Plum concrete wall at back side of under construction building to protect the existing houses)

ठेकेदार का नामः—M/S Aukta Energy Pvt. Ltd Mehli, Shimla (HP)

अनुबन्ध संख्याः— 6 वर्ष 2013—14

चलत बिल संख्याः— प्रथम

वाउचर संख्याः— 11 दिनाँक 04.03.14=₹776486 / —

माप पुस्तिका संख्याः— 1777 / 13 पृष्ठ 1 से 12 तक

(क) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹3181 / — का अधिक भुगतानः—

वर्णित कार्य की माप पुस्तिका संख्या 1770 / 13 पृष्ठ 1 से 8 तक दर्ज निष्पादित किए गए निर्माण कार्य की विस्तृत प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर विदित हुआ कि Plum Concrete wall के दो हिस्से अर्थात From entry gate to Porch व from entry porch to col. हेतु क्रमशः 24.85m व 9.95m=34.53m भूमि की खुदाई व 1:6:12 का कार्य किया गया था तथा form work व P/L CC 1:5:10 in R/Wall के निर्माण कार्य हेतु दिवार के पहले हिस्से को पाँच भागों में तथा दूसरे हिस्से को दो भागों में बाँटा गया था और प्रत्येक भाग के मध्य कम से कम दो इंच का अन्तर expension हेतु रखा गया था जैसा कि सम्बन्धित site अभियन्ता द्वारा चर्चा के दौरान स्पष्ट किया गया। इस तथ्य के दृष्टिगत दीवार के दोनों हिस्सों के कुल सात भागों में वर्णित अन्तर की कुल लम्बाई 10 इंच (2 इंचX5 नं0) अर्थात 0.25 मीटर

बनती है। इस प्रकार दीवार में वास्तविकता में 34.28 मीटर (34.53m-0.25m) लम्बाई में ही कार्य मद Form work P/L CC 1:5:10 in R/wall व Stone filling behind R/Wall का कार्य निष्पादित हुआ था जबकि ठेकेदार को 34.53 की पूर्ण लम्बाई हेतु इन कार्य मदो का भुगतान किया गया जोकि अनियमित है। अतः इस अनियमितता के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण के अनुसार ₹3181/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका व पृ0सं0	**अनुबन्ध की कार्य मद संख्या**	**कार्य मद का विवरण**	**गणना जिसका भुगतान किया गया**	**सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था**	**अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा**	**दर प्रति घन मीटर (₹) में**	**अधिक भुगतान की राशि (₹) में**
1770/13/ 5 व 10	4	Form work front & back	2x34.53x3.05=210.63sqm	2x34.28x3.05=209.11sqm	1.52sqm	150	228
1770/13/ 6, 7 व 11	6	P/L CC 1:5:10 in R/wall above GL	34.53x1.88+0.76/2x3.05=139.02 cum	34.28x1.88+0.76/2x3.05= 138.01. cum	1.01.cum	2500 (PR)/ 2600 (FR)	2525
1770/13, 7, 8 व 11	7	Stone filling behind R/wall	34.53x0.60x3.05= 63.18 cum	34.28x0.60x3.05=62.73 cum	0.45 cum	950 (PR)/ 1000 (FR)	428
				कुल जोड़			**₹3181**

(ख) Plum Concrete वाल की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹1000/– का अधिक भुगतानः–

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 6 P/L CC 1:5:10 in आर0वाल/breast वाल की निष्पादित कुल मात्रा 236.37 घन मीटर हेतु ₹2500/– प्रति घन मीटर (Part rate) की दर से ₹590925/– का भुगतान किया गया था। इस मद की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 1770/13 के पृष्ठ 6 व 7 पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 इंच अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी जिसके लिए अनुबन्ध की कार्य

मद संख्या 8 के अन्तर्गत 51.20 मीटर पाईप का ₹80 की दर से ₹4096/– का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा, जोकि 22/7x0.05x0.05x51.20=0.40 वर्ग मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को वर्णित कार्य मद के अन्तर्गत 0.40 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹2500/– की दर से ₹1000/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) ठेकेदार को अतिरिक्त मिट्टी की ढुलाई की एवज में ₹11539/– का अनियमित भुगतानः–

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 3 यांत्रिक यातायात व हैड लोड द्वारा खुदाई की गई 80% अतिरिक्त (Surplus) मिट्टी की ढुलाई कार्य की 230.78 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹50 प्रति घन मीटर (Part rate) ₹500 (Final rate) की दर से ₹11539/– का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1770/13 पृष्ठ–9) परन्तु अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 व 2 में यह कार्य पहले से ही शामिल था जैसा की निविदा में वर्णित इन मदों के nomenclature से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है Cutting in earth work and disposal of all excavated unserviceable material in all leads & lifts including through mechanical transport." And excavation in foundation and trenches in all kinds of soils.." and then disposing off all excavated surplus earth as directed by Engineer in charge." और यथानुसार इन मदों के अन्तर्गत मिट्टी की ढुलाई का भी भुगतान हो चुका था। अतः इसके दृष्टिगत कार्य की मद संख्या 3 को निविदा में शामिल करना तथा इस कार्य हेतु ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा ऐसा करके ठेकेदार को सम्बन्धित deposit work की cost पर ₹11539/– का अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) (i) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹6449/– का रॉयल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किये गए पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलों से रॉयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रॉयल्टी की दर (प्रति टन ₹ में)	रॉयल्टी की देय राशि (₹) में
7	Stone filling behind retaining wall	63.18 cum	69.50 cum (63.18x1.10)	161.24 (69.50x.32)	40	6449

(ii) इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी इत्यादि की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र "एम" ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके प्राधिकरण खजाने में ही जमा करवाई गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा प्राधिकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर देय रॉयल्टी की अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित

स्त्रोत से वसूली करते हुए प्राधिकरण खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) कटिंग इन अर्थ वर्क/भूमि की खुदाई से निकाले गए पत्थरों की वसूली न करके ठेकेदार को सम्भावित ₹13098/– का अनुचित लाभ पहुंचानाः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 कटिंग इन अर्थ वर्क की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 176.18 घन मीटर हेतु ₹140/– प्रति घन मीटर (Part rate) की दर से ₹24665.20 तथा कार्य मद संख्या 2 Excavation in foundation & trenches की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 112.30 घन मीटर हेतु ₹150 प्रति घन मीटर (Part rate) की दर से ₹16845/– का भुगतान ठेकेदार को किया गया था परन्तु खदाई से प्राप्त पत्थरों का कोई भी उल्लेख न तो सम्बन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिका, एम0ए0एस0 इत्यादि में ही किया गया था और न ही ठेकेदार को पत्थरों की आपूर्ति करके ही कोई वसूली की गई थी जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानां के अनुसार वर्णित खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा की प्राप्ति दर्शाई जानी अपेक्षित थी वह भी ऐसी स्थिति में जब भूमि की कटिंग/खुदाई का कार्य पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा हो तथा ठेकेदार द्वारा कार्य मद के कार्यन्वयन हेतु quote की गई दर को भूमि की pick jumper, hard rock, chessling व wedging तथा ब्लास्टिंग प्रकार की कटिंग/खुदाई की विभागीय justification दर द्वारा Justify किया गया हो। इस प्रकार HPSR 2009 के अनुसार Ordinary Quarried Stone की दर ₹350/– प्रति घन मीटर है तथा इस पर ठेकेदार का overall premium 29.76% जोड़कर यह दर ₹454/– प्रति घन मीटर बनती है तथा परिणामस्वरूप 28.85 घन मीटर (176.18+112.30=288.48 घन मीटरx10**%**) पत्थर की मात्रा को स्टॉक में न लेकर/ठेकेदार को जारी न करके न्यूनतम ₹13098/– की हिमुडा को हानि/ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 कार्य का नामः–

PSFS at Sanjauli Ph III, Distt. Shimla (HP) (SH: C/O 12 nos. cat II flats block No. 5 with parking floor, block No. 23 without parking floor and 6 Nos. Cat III Flats block No. 4-A with garages I/C internal WS&SI connected developmentworks i.e. levelling of plosts & C/O R/Wall etc.)

ठेकेदार का नामः—M/S Him Engineer & Consultants, New Shimla.

अनुबन्ध संख्याः— 19 वर्ष 2012—13

चलत बिल संख्याः— द्वितीय

वाउचर संख्याः— 112 दिनाँक 31.03.14=₹2565283/—

माप पुस्तिका संख्याः— 1768/13 पृष्ठ 57 से 68 तक (Record entry)

1769/13 पृष्ठ—20 से 36 तक (Abstract of cort)

(क) नियमों की अनदेखी करके ठेकेदार को नियमानुसार देय राशि से अधिक ₹842569/— के Secured Advance का भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान करनाः—

CPWD Manual Para 32.5.2 में वर्णित प्रावधानानुसार "The DO can sanction the Secured advance upto an amount not exceeding 75% of the material as assessed by the Engineer in Charge or an amount not exceeding 75% of the material element cost in tendered rate of the finished item of work, whichever is less". इसके अतिरिक्त Secured Advance DNIT में दर्शाई गई मात्रा तक के लिए ही सीमित होगा अर्थात उससे अधिक मात्रा के लिए देय नहीं होगा। नियमों में इन स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना करते हुए ठेकेदार को DNIT में दर्शाई गई मात्रा से अधिक मात्रा हेतु एवम 75% of the material element cost in tendered rate (अनुबन्ध की क्लाज के अनुसार tendered rate में 75% material element तथा 25% labour element होता है) की अपेक्षा 75% of tendered rate की दर पर Secured advance प्रदान किया गया तथा इस अनियमितता के कारण ठेकेदार को निम्नविवरणानुसार ₹842569/— का Secured advance देय राशि से अधिक भुगतान करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक अदा किए गए Secured advance की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज सहित सम्बन्धित स्त्रोत से तुरन्त वसूल करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

Running bill, MB & page No.	Agreement itme No. & DNIT Qty. against which advance granted	Tendered rate of the contractor (₹)	75% material element cost in tendered rate (₹) 75% of Col. 3	75% of the material element cost (₹) 75% of Col.4	Qty. against which secured advance granted	Amount of total secured advance granted (₹) (Col. 4x6)	Total Amount of secured advance due as perrules (₹) (col. 2x5)	Amount of secured advance paid in excess (₹)
2nd R/bill 1768/13, 1769/13 P-68& 36	52 CGI sheet 3mm thick=813sqm	900 per sqm	675 per sqm	506.25 per sqm	813 sqm	548775	411581	137194
	57 MS BP sheet for facia@eves board=122sqm	1400 per sqm	1050 per sqm	787.50 per sqm	122 sqm	128100	96075	32025
1st R/bill 1768/13, 1769/13 P-56,57 & 18	58 Steel work welded in built up section trusses & framed work (a) 203.28 qtl (b) 26.10 qtl=229.38qtl	8000 per qtl	6000 per qtl	4500 per qtl	284.26qtl	1705560	1032210	673350
					Total	**2382435**	**1539866**	**₹842569**
	Total Amount of secured advance paid upto 2nd R/bill					**2382435**		
1769/13 P-35	Agreement item No. 58 Recovred in 2nd R/bill					352200		
	Balance amount as on 31.03.14 yet to be recovered					2030235		

(ख) वुड वर्क की कार्य मात्रा की गणना हेतु dimensions को दशमलव के उपरान्त तीन डिजिट की अपेक्षा दो डिजिट में rounded off करने के कारण ठेकेदार को ₹731 का अधिक भुगतानः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 29 providing wood work in frames of door & windows in 2nd class deodar wood (Double rebate) की माप पुस्तिका संख्या 1768/13 पृष्ठ 63 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि केवल way window में किए गए वुड वर्क की कार्य मात्रा की गणना हेतु vertical member की dimensions को दशमलव के उपरान्त तीन डिजिट की अपेक्षा दो डिजिट में rounded off करके लिया गया था जबकि अन्य खिड़कियों व दरवाजों की कार्य मात्रा की गणना नियमानुसार दशमलव के उपरान्त तीन डिजिट लेकर ही की गई थी। इस अनियमितता के कारण ठेकेदार को 6x4x(0.09+0.04)/2x0.125x1.75=0.341 cum का भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार (जैसा कि माप पुस्तिका संख्या 1768/13 पृष्ठ 51 पर way window की dimensions ली गई थी) 6x4x(0.0875+0.0375)/2x0.125x1.75=0.328 cum कार्य प्रमात्रा का भुगतान किया जाना अपेक्षित था इस प्रकार ठेकेदार को 0.013 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का ₹56250 (PR) /₹75000(FR) प्रति घन मीटर की दर से ₹731/– का अधिक भुगतान किया गया है (माप पुस्तिका संख्या 1769/13 पृष्ठ 28) जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹2950/– की रॉयल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैस स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किए गए पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाणस्वरूप विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मंडल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलों से रॉयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को

वर्णित फार्म एक ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा प्राधिकरण खजाने को हानी। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए प्राधिकरण खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा **(upto 2nd R/bill)**	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रॉयल्टी की दर (प्रति टन ₹ में)	रॉयल्टी की देय राशि (₹) में
7	Stone filling behind retaining wall	28.90 cum	31.79 cum (28.90x1.10)	73.75 (31.79x2.32)	40	2950

26 कार्य का नामः–

SFS at Theog, Distt Shimla (HP) (Sh C/O 12 nos cat II flats I/C WS & SI, 1 No. septic tank for 100 users, soak pit, rain harvesting tank 8000 liters capacity including developmet of site)

ठेकेदार का नामः–Shri Hoshiar Singh Chandel

अनुबन्ध संख्याः– 9 वर्ष 2013–14

चलत बिल संख्याः– तृतीय

वाउचर संख्याः– 101 दिनाँक 31.03.14=₹3336991/–

माप पुस्तिका संख्या 1763/13 पृष्ठ 15 से 51 तक (Record entry)

1666/09 पृष्ठ 69 से 81 तक (abstract of cost)

(क) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹4582/– का अधिक भुगतानः–

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 17 P/L Cement Concrete having strength of M-20 mix (a) in foundations footings of column etc. की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 51.23 घन मीटर हेतु ₹5800 प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹297134/– का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1666/09 पृष्ठ 75 abstract of cost of 3rd R/bill) इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 1763/13 पृष्ठ 24 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों का पृष्ठ 21 व 22 पर दर्ज Excavation P/L CC 1:4:8 व form work से सम्बन्धित रिकार्ड

प्रविष्टियों के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि Column A10+11(combined) की footing के निर्माण कार्य हेतु excavation व P/L CC 1:4:8 का कार्य तो 2.74mx2.49m की लम्बाई चौड़ाई में किया गया था तथा pedestal हेतु form work 2.55mx2.34m की लम्बाई चौड़ाई में परन्तु P/L Cement Concrete having strength of M-20 mix की कार्य प्रमात्रा हेतु 2.96mx2.71m की लम्बाई चौड़ाई गणना में ली गई थी जोकि उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह pedestal हेतु form work के लिए ली गई 2.55mx2.34m लम्बाई–चौड़ाई से अधिक नहीं हो सकती जबकि वर्णित गणना में ली गई लम्बाई–चौड़ाई तो excavation की लम्बाई–चौड़ाई 2.74mx4.49m से भी अधिक है जोकि व्यवहारित तौर पर असम्भव है। अतः इस अनियमितता के कारण ठेकेदार को निम्नविवरण अनुसार 0.79 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का ₹5800 प्रति घन मीटर की दर से ₹4582/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कार्य प्रमात्रा की गणना जिसका भुगतान किया गया थाः–

1x2.96x2.71x0.20	1.60cum
1x0.50/3(2.96x2.71)+(0.75x0.50)+V(2.96x2.71)x(0.75x0.50)	1.69cum
Total qty. paid for	3.29 cum (A)
कार्य प्रमात्रा की गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	
1x2.55x2.34x0.20	1.19 cum
1x0.50/3(2.55x2.34)+(0.75x0.50)+V(2.55x2.34)x(0.75x0.50)	1.31 cum
Total qty to be paid for	2.50 cum (B)
कार्य प्रमात्रा जिसका अधिक भुगतान किया गया (A)-(B)	0.79 cum

(ख) ठेकेदार को अतिरिक्त मिट्टी की ढुलाई की एवज में ₹1473728/– का अनियमित भुगतानः–

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 5 यांत्रिक यातायत व हैंड लोड़ द्वारा खुदाई की गई अतिरिक्त (Surplus) मिट्टी की ढुलाई का कार्य की 5359.01 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹275/– प्रति घन मीटर की दर से ₹1473727.75 का भुगतान (upto 3rd R/bill) किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1666/09 पृष्ठ–72) परन्तु कार्य की मद संख्या 1 में यह कार्य पहले से ही शामिल था जैसा की निविदा में वर्णित इस मद के nomenclature से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है Cutting in earth work and disposal of all excavated unserviceable

material in all leads & lifts including through mechanical tramsport." अतः इसके दृष्टिगत कार्य की मद संख्या 5 को निविदा में शामिल करना तथा इस कार्य हेतु ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा ऐसा करके ठेकेदार को सम्बन्धित deposit work की बवेज पर ₹1473727.75 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) आर0आर0 मैसेनरी की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹8294/– का अधिक भुगतानः–

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 28 आर0आर0. मैसेनरी की निष्पादित कुल मात्रा 968.03 घन मीटर हेतु ₹2900/– प्रति घन मीटर की दर से ₹2807287/– का भुगतान किया गया था। इस मद की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 1763/13 के पृष्ठ–48 पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 इंच अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी जिसके लिए अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 94 के अन्तर्गत 363.65 मीटर पाईप का ₹90/– की दर से ₹32728.50 का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा जोकि 22/7x0.05x0.05x363.065=2.86 वर्ग मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को इस कार्य मद के अन्तर्गत 2.86 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का ₹2900/– की दर से ₹8294/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ)(i) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹145206/– की रॉयल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन

पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किए गए पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मंडल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलो से रॉयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा **(upto 2rd R/bill)**	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रॉयल्टी की दर (प्रति टन में)	रॉयल्टी की देय (₹ में)
28	RR Masonary in F/P & R/Wall etc in CM 1:6	968.03 cum	1326.20 cum (968.03x1.37)	3076.78 (1326.20x2.32)	40	123071
29	S R Masonary in F/P & R/Wall etc in CM 1:6	53.68 cum	73.54 cum (53.68x1.37)	170.61(73.54x2.32)	40	6824
8	Stone filling behind retaining wall	149.99 cum	164.99 cum (149.99x1.10)	382.77 (164.99x2.32)	40	15311
				Total		**₹145206**

(ii) इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी इत्यादि की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र "एम" ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में ही जमा करवाई

गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा प्राधिकरण खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर देय रॉयल्टी की अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए प्राधिकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) कटिंग इन अर्थ वर्क/भूमि की खुदाई से निकाले गए पत्थरों की वसूली न करके ठेकेदार को सम्भावित ₹294814/– का अनुचित लाभ पहुंचानाः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 कटिंग इन अर्थ वर्क की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 5359. 01 घन मीटर हेतु ₹200 प्रति घन मीटर की दर से ₹1071802/– तथा कार्य मद संख्या 2 Excavation in foundation & trenches की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 847.54 घन मीटर हेतु ₹310/– प्रति घन मीटर की दर से ₹262737.40 का भुगतान (upto 3rd R/bill) ठेकेदार को किया गया था परन्तु खुदाई से प्राप्त पत्थरों का कोई भी उल्लेख न तो सम्बन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिका, एम0ए0एस0 इत्यादि में ही किया गया था और न ही ठेकेदार को पत्थरों की आपूर्ति करके ही कोई वसूली की गई थी जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार वर्णित खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा की प्राप्ति दर्शाई जानी अपेक्षित थी वह भी ऐसी स्थिति में जब भूमि की कटिंग/खुदाई का कार्य पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा है तथा ठेकेदार द्वारा कार्य मद के कार्यन्वयन हेतु Quote की गई दर को भूमि की pick jumper, hard rock, chessling व wedging तथा ब्लास्टिंग प्रकार की कटिंग/खुदाई की विभागीय Justification दर द्वारा Justify किया गया हो। इस प्रकार HPSR 2009 के अनुसार Ordinary Quarried Stone की दर ₹350/– प्रति घन मीटर है तथा इस पर ठेकेदार का overall premium 35.78% जोड़कर यह दर ₹475/– प्रति घन मीटर बनती है तथा परिणामस्वरूप 620.66 घन मीटर (5359.01+847.54=6206.55 घन मीटरx10%) पत्थर की मात्रा को स्टॉक में न लेकर/ठेकेदार को जारी न करके न्यूनतम ₹294814/– की हिमुडा को हानि/ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का अनुबन्धित मात्रा से अधिक निष्पादन करवाने पर ठेकेदार को ₹893363/– का अनियमित भुगतानः–

निर्माण कार्य के आंबटन की शर्तानुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य की विभिन्न मदों की अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा में कोई विचलन अनुज्ञये नहीं होगा परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा से अधिक का निष्पादन करवाया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति बारे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे संशय होता है कि निर्माण कार्य के आंबटन की शर्त की उल्लंघना करते हुए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ही अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा से अधिक का निर्माण कार्य निष्पादित करवाकर ठेकेदार को ₹893363/– का अनियमित भुगतान किया गया है। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा वर्णित अनियमित भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्रमाँक	अनुबन्ध की मद संख्या	कार्य मद का विवरण	अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा	निष्पादित कार्य प्रमात्रा (upto 3rd R/bill)	अधिक निष्पादित कार्य की प्रमात्रा व प्रतिशतता	कार्य निष्पादन दर (₹) में	अनियमित भुगतान की राशि (₹) में
1	1	Cutting in earth work	4788.86 cum	5359.01 cum	570.15cum/11.91%	200 per cum	114030
2	2	Excavation in F/trenches	671.55 cum	847.54 cum	175.99cum/26.21%	310 per cum	54557
3	5	Extra for carriage of surplus excavated earth	4122.14 cum	5359.01cum	1236.87cum/30%	275 per cum	340139
4	8	P/L 1:2:4 in F/P	0.86cum	4.11cum	3.25cum/377.91%	5500 per cum	17875
5	9	P/L CC 1:4:8 in F/P	5.90cum	90.61cum	84.71cum/1435.76%	4200 per cum	355782
6	17	M-20 Mix (e) in walls	16.78 cum	18.61cum	1.83cum/10.91%	6000 per cum	10980
					Total		**₹893363**

27 कार्य का नामः—

C/O Vaterinary Hospital Building Cheog. Theog Distt Shimla (HP) (SH C/O Additional work of R/Wall toe wall, steps, steel staging for placing water tank, septic tank & soak pit)

ठेकेदार का नामः—Shri Brijesh Kumar, Vill Dharmai, P.O. Jass, Tehsil-Theog, Distt-Shimla (HP)

अनुबन्ध संख्याः— 11 वर्ष 2012—13

चलत बिल संख्याः— 3rd & Final

वाउचर संख्याः— 45 दिनाँक 31.03.14=₹20430/—

माप पुस्तिका संख्या 1625/09 पृष्ठ 26 से 33 तक (R/entry, Abstract of cost) व 1593/08 पृष्ठ 96 से 100 तक

(क) आर0आर0 मैसेनरी की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹520/— का अधिक भुगतानः—

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 10 आर0आर0 मैसेनरी की निष्पादित कुल 257.03 घन मीटर हेतु ₹2600/— प्रति घन मीटर की दर से ₹668272/— का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1593/08 के पृष्ठ 100) इस मद की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 1594/08 के पृष्ठ 83 व 84 पर दर्ज की गई विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 इंच अर्थात 100mm PVC पाईप Weepholes हेतु लगाई गई थी जिसके लिए अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 12 के अन्तर्गत 25.70 मीटर पाईप का ₹100/— की दर से ₹2570/— का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 1593/08 के पृष्ठ 100) परन्तु Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा जोकि 22/7x0.05x0.05x25.7=0.20 वर्ग मीटर बनती थी, को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Weepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को इस कार्य मद के अन्तर्गत 0.20 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का ₹2600/— की दर से

₹520/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख)(i) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹41987/– की रॉयल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किए गए पत्थरो की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलो ंसे अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलो ंसे रॉयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा (upto 3rd R/bill)	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रॉयल्टी की दर (प्रति टन ₹ में)	रॉयल्टी की देय राशि (₹) में
9	R R Masonary in F/P in CM 1:6	21.05 cum	28.84 cum (21.05x1.37)	66.90 (28.84x2.32)	40	2676
10	R R Masonary in R/Wall etc in CM 1:6	257.03 cum	352.13 cum (257.03x1.37)	816.94 (352.13x2.32)	40	32678
11	Stone filling behind retaining wall	64.98 cum	71.48 cum (64.98x1.10)	165.83 (71.48x2.32)	40	6633
				Total		**₹41987**

(ii) इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी इत्यादि की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र "एम" ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में ही जमा करवाई गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर देय रॉयल्टी की अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) कटिंग इन अर्थ वर्क/भूमि की खुदाई से निकाले गए पत्थरों की वसूली न करके ठेकेदार को सम्भावित ₹16177/– का अनुचित लाभ पहुंचानाः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 कटिंग इन अर्थ वर्क की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 239.70 घन मीटर हेतु ₹140 प्रति घन मीटर की दर से ₹33558/– तथा कार्य मद संख्या 2 Excavation in foundation & trenches की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 160.72 घन मीटर हेतु ₹170/– प्रति घन मीटर की दर से ₹27322.40 का भुगतान (upto 3rd R/bill) ठेकेदार को किया गया था परन्तु खुदाई से प्राप्त पत्थरों का कोई भी उल्लेख न तो सम्बन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिका, एम0ए0एस0 इत्यादि में ही किया गया था और न ही ठेकेदार को पत्थरों की आपूर्ति करके ही कोई वसूली की गई थी जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार वर्णित खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा की प्राप्ति दर्शाई जानी अपेक्षित थी वह भी ऐसी स्थिति में जब भूमि की कटिंग/खुदाई का कार्य पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा हो तथा ठेकेदार द्वारा कार्य मद के कार्यान्वयन हेतु Quote की गई दर को भूमि की pick jumper, hard rock, chessting व wedging तथा ब्लास्टिंग प्रकार की कटिंग/खुदाई की विभागीय justification दर द्वारा Justify किया गया हो। इस प्रकार HPSR 2009 के अनुसार Ordinary Quarried Stone की दर ₹350/– प्रति घन मीटर है तथा इस पर ठेकेदार को overall premium 15.56% जोड़कर यह दर ₹404/– प्रति घन मीटर बनती है तथा परिणामस्वरूप 40.04 घन मीटर (239.70+60.72=400.42 घन मीटरx10%) पत्थर की मात्रा को स्टॉक में न

लेकर/ठेकेदार को जारी न करके न्यूनतम ₹16177/– की हिमुडा को हानि/ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 कार्य का नामः–

C/O Indoor Stadium at Rohroo I/C WS &SI I/C development of site i.e. C/O R/wall, mettalling & tarring and drain etc. (Balance work)

ठेकेदार का नामः–Shri Krishan Thakur, near park pump road Rohroo, Distt. Shimla (HP)

अनुबन्ध संख्याः– 1 वर्ष 2011–12

चलत बिल संख्याः– Deyail upto 8th R/bill of 1/14

वाउचर संख्याः– 107 दिनाँक 31.01.14=₹2814628/–

माप पुस्तिका संख्या 1757/13 पृष्ठ 65 से 88 तक (Abstract of cost)

(क) RCC या सीमेन्ट कंक्रीट पर सीमेंट कंक्रीट फर्श डालने के कार्य से पूर्व सीमेन्ट स्लरी का प्रयोग करने सम्बन्धी कार्य हेतु ठेकेदार को ₹16821/– का अनियमित भुगतानः–

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 13 Applying cement Slurry on RCC slab or cement concrete work using 2.75Kg of cement per sqm of floor area and before laying CC flooring I/C roughening, cleaning of the concrete surface complete I/C carriage of materials at all leads & lift. की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 1107.79 घन मीटर हेतु ₹18/– प्रतिघन मीटर की दर से कुल ₹19940.22 का भुगतान किया गया था। (माप पुस्तिका संख्या 1757/13 पृष्ठ 75 Abstract of cost of 8th R/bill) इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 1709/11 पृष्ठ 86 व 87, 1710/11 पृष्ठ 72 and माप पुस्तिका संख्या 1759/13 पृष्ठ 79 से 81 व 84 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों के अवलोकन से विदित हुआ कि कुल निष्पादित कार्य में से 934.50 घन मीटर कार्य कोटा स्टोन फ्लोरिंग से पहले निष्पादित किया गया था जोकि कार्य मद के अन्तर्गत अपेक्षित ही नहीं था क्योंकि यह कार्य केवल सीमेन्ट कंक्रीट फर्श डालने के कार्य से पूर्व ही अपेक्षित था तथा वैसे भी यह कार्य कोटा स्टोन फ्लोरिंग की कार्य मद में पहले ही निहित है जैसा कि इस मद की nomenclature से भी स्वतः

ही स्पष्ट हो जाता है "Kota stone slab flooring 20mm thick base of cement morta 1:4 laid over and joined with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab I/C rubbing polighing complete 25 mm thick." अतः संशय उत्पन्न होता है की या तो इस का कार्य स्थल पर वास्तविकता में कार्यान्वयन ही नहीं हुआ है या फिर कार्य मद के बाहर अवांछित कार्य करवाकर ठेकेदार को ₹16821/– (934.50 घन मीटर x₹18) का अनियमित भुगतान किया गया है जिसकी पूर्ण छानबीन करवाकर नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) प्लास्ट्रिंग वर्क से रोलिंग शटर्स की कार्य मात्रा न घटाने पर ₹6989 का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

उपरोक्त कार्य के छठे बिल में मापन पुस्तिका संख्या 1747/12 पृष्ठ 32 व 33 पर अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 48 15mm cement plaster in all heights की 98.50 level पर की गई रिकार्ड प्रविष्टि अनुसार निष्पादित कार्य मात्रा 692.80 वर्ग मीटर थी। इस कार्य मात्रा से 9 दुकानों के रोलिंग शटर्स 66.56 वर्ग मीटर की कार्य मात्रा को नहीं घटाया गया था। परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹6989/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः किए गए अधिक भुगतान बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुये या तो इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी संविदाकार से शीघ्र वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

मद सं0	मद का विवरण	छठे बिल तक निष्पादित कार्य मात्रा	रोलिंग शटर्स की कार्य मात्रा जो नहीं घटाई गई	मद की दर	अधिक भुगतान
48	15mm cement plaster in all heights	692.80sqm	66.56 sqm (1x9x2.55x2.90)	₹105 (Part Rate)	₹6989 (66.56x105)

(ग) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹528/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त कार्य के छठे चलत बिल में मापन पुस्तिका संख्या 1718 पृष्ठ 100 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टि अनुसार अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 22 RR Masonary in 1:6:12 जिसकी दर ₹2200/– प्रति घन मीटर है, की निष्पादित वास्तविक कार्य प्रमात्रा का योग 29.

78 घन मीटर था जबकि गलती से यह योग 30.02 घन मीटर लिया गया था। इस प्रकार 0.24 (30.02–29.78) घन मीटर की कार्य मात्रा अधिक ली गई थी। परिणामस्वरूप ₹528/– (0.24X2200) का संविदाकार को गलत गणना के कारण अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इसकी वसूली संविदाकार से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(घ) अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही न करने के कारण ₹2755990/– का सम्भावित रूप से परोक्ष हानिः–

उक्त कार्य के निष्पादन हेतु आंबटन पत्र संख्या हिमुडा/A-2(848)/2011, 93.99 दिनाँक 06.04.11 के माध्यम से ठेकेदार से किए गए अनुबन्ध द्वारा एक वर्ष का समय, निर्धारित था जिसके अनुसार यह कार्य आरम्भ तिथि 21.04.11 के उपरान्त दिनाँक 20.04.12 को पूर्ण हो जाना चाहिए था परन्तु यह कार्य अंकेक्षण अवधि दिनाँक 31.03.14 तक भी प्रगति पर ही था जबकि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त भी लगभग दो गुणा समय अर्थात दो वर्ष बीत चुके है। इसके बावजूद भी ठेकेदार के विरूद्ध कार्य पूर्ण करने में विलम्ब करने हेतु अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जिसके अनुसार टैंडरड राशि ₹27559902/– के अधिकतम 10**%** तक की दर से दंड शुल्क/मुआवजा ठेकेदार से वसूल किया जाना अपेक्षित था जोकि ₹2755990/– बनता है। अतः अनुबन्ध की उक्त धारा के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही न करने के कारण जहाँ निर्माण कार्य की पूर्णतया में विलम्ब से सम्बन्धित लाभार्थी जनता को इससे प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ रहा है वहीं निक्षेप निर्माण कार्य की कीमत पर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाकर हिमुडा को परोक्ष रूप में ₹2755990/– की हानि हुई है जिस सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए अन्यथा वर्णित हानि की राशि को सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए हानि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) कटिंग इन अर्थ वर्क/भूमि की खुदाई से निकाले गए पत्थरों की वसूली न करके ठेकेदार को सम्भावित ₹243903/– का अनुचित लाभ पहँचानाः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 कटिंग इन अर्थ वर्क की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 4062. 88 घन मीटर हेतु ₹150/– प्रति घन मीटर की दर से ₹609432/– तथा कार्य मद संख्या 2

Excavation in foundation & trenches की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 1959.38 घन मीटर हेतु ₹178/– प्रति घन मीटर की दर से ₹348769.64 का भुगतान (upto 8th R/bill) ठेकेदार को किया गया था परन्तु खुदाई से प्राप्त पत्थरों का कोई भी उल्लेख न तो सम्बन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिका, एम0ए0एस0 इत्यादि में ही किया गया था और न ही ठेकेदार को पत्थरों की आपूर्ति करके ही कोई वसूली की गई थी जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार वर्णित खुदाई से न्यूनतम दस प्रतिशत पत्थरों की मात्रा की प्राप्ति दर्शाई जानी अपेक्षित थी वह भी ऐसी स्थिति में जब भूमि की कटिंग/खुदाई का कार्य पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा हो तथा ठेकेदार द्वारा कार्य मद के कार्यन्वयन हेतु quote की गई दर को भूमि की pick jumper, hard rock, chessling व wedging तथा ब्लास्टिंग प्रकार की कटिंग/खुदाई की विभागीय Juftification दर द्वारा Justify किया गया हो। इस प्रकार HPSR 2009 के अनुसार Ordinary Quarried Stone की दर ₹350/– प्रति घन मीटर है तथा इस पर ठेकेदार का overall premium 15.79% जोड़कर यह दर ₹405/– प्रति घन मीटर बनती है तथा परिणामस्वरूप 602.23 घन मीटर (4062.88+1959.38=6022.26 घन मीटरx10%) पत्थर की मात्रा को स्टॉक में न लेकर/ठेकेदार को जारी न करके न्यूनतम ₹243903/– की हिमुडा को हानि/ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च)(i) कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹335712/– की रायल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किए गए पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलों से रॉयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ

पहुंचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध की कार्य मद सं0	**कार्य मद का नाम**	**निष्पादित कार्य प्रमात्रा (upto 8th R/bill)**	**उपयोग पत्थरों की मात्रा**	**उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)**	**रॉयल्टी की दर (प्रति टन ₹ में)**	**रॉयल्टी की देय राशि (₹) में**
22	RR Masonary in F/P in CM 1:6	1914.43 cum	2622.77 cum (1914.43X1.37)	6084.83 (2622.77X2.32)	40	243393
21	SR Masonary in F/P in R/Wall etc in CM 1:6	203.59 cum	278.92 cum (203.59X1.37)	647.09 (278.92x2.32)	40	25884
23	Stone filling behind retaining wall	3356.44 cum	392.08 cum (356.44X1.10)	909.63 (392.08x2.32)	40	36385
12/E.I	Stone soiling properly hand packed with spalls 100mm spread thickness	294.37 cum	323.81 cum (294.37X1.10)	751.24 (323.81X2.32)	40	30050
				कुल जोड़		**₹335712**

(ii) इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी इत्यादि की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र "एम" ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशोंनानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में ही जमा करवाई

गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा प्राधिकरण खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर देय रॉयल्टी की अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए प्राधिकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 कार्य का नामः–

C/O Mushroom unit at Dutt Nagar, Distt.-Shimla (HP) (SH Providing & fixing fencing with angle iron & expanded metal)

ठेकेदार का नामः– Shri Brijesh Kumar, Vill Dharmai, P.O. Jass, Tehsil-Theog, Distt-Shimla (HP)

अनुबन्ध संख्याः– 22 वर्ष 2013–14

चलत बिल संख्याः– 1st

वाउचर संख्याः– 90 दिनाँक 29.03.14=₹824880/–

माप पुस्तिका संख्या 1668/09 पृष्ठ 87 से 90 तक (R/entry, Abstract of cost)

निर्माण कार्य के वास्तविक निष्पादन से पूर्व ही ठेकेदार को भुगतान करके सम्भावित अवांछित लाभ पहुंचानाः–

इस निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अनुबन्धित DNIT में चार मदें थी, 1 Excavation in foundation trenches etc. 2 P/L 1:4:8 in foundation & plinth 3, Steel work welded in built up section, trusses & frame work etc. और 4 Supplying & fixing expanded metal to wood or steel member पहली दो कार्य मदो के निष्पादन के बिना तीसरी व चौथी कार्य मद का निष्पादन असम्भव था क्योंकि खुदाई करके खडडों में CC 1:4:8 के साथ fix करके Steel work welded in built up section, trisses & frame work खड़ा किया जाना था तथा फिर उसमें चौथी कार्य मद अनुसार expanded metal फिक्स किया जाना सम्भव हो सकता था परन्तु प्रथम चलत बिल की माप पुस्तिका संख्या 1668/09 पृष्ठ 87 से 90 तक दर्ज निष्पादित कार्य की प्रविष्टियों के अनुसार पहली दो कार्य मदों के निष्पादन के बिना ही तीसरी व चौथी कार्य मद का निष्पादन दर्शाकर ठेकेदार को क्रमशः 69.96qtl कार्य मात्रा का ₹8000 (PR) ₹8900 (FR) प्रति क्विंटल की दर से ₹559680 व 816 वर्ग मीटर कार्य मात्रा का ₹325 (PR) ₹395 (FR) की दर से ₹265200/– कुल ₹824880/– का भुगतान किया गया था। इस

सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 154 दिनाँक 12.12.14 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था किन्तु उनसे कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः संशय उत्पन्न होता है कि तीसरी व चौथी कार्य मद का वास्तविक निष्पादन करवाने से पूर्व ही ठेकेदार को इसका भुगतान करके अनुचित रूप से अवाँछित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके नियमानुसार दोषी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 वाउचर संख्या 67, दिनाँक 21.03.2014, राशि ₹282143/–

कार्य का नामः–

C/O High School under RMSA at Badhal, Distt. Shimla (SH C/O Block of 2 No. Class Rooms including internal WS & SI)

संविदाकार का नामः– श्री बिज लाल

अनुबन्ध संख्याः– 5 ऑफ 2011–12

चलित बिलः– छठा चलित बिल

माप पुस्तिका संख्या 1720/12 एवं 1721/12

(क) ब्रिक वर्क से विंडों का माप न घटाने से संविदाकार को ₹2752/– का अधिक भुगतान

मापन पुस्तिका संख्या 1721/12 पृष्ठ 48 से 50 पर छठे चलत बिल में अनुबन्ध मद संख्या 13 में ब्रिक वर्क हेतु 64.89 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टि की गई थी परन्तु उक्त कार्य मात्रा से दो खिड़कियों के स्थान पर एक ही खिड़की का माप घटाया गया था जिसके कारण संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार ₹2752/– अधिक भुगतान किया गया। अतः या तो अधिक भुगतान नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध मद सं0	मद का विवरण	निष्पादित कार्य मात्रा	विंडो का माप जो घटाया जाना था	माप जो घटाया गया	अन्तर	अधिक भुगतान (₹)
13	Brick work above plinth level	64.89 cum	0.85 cum (2x1x0.23x1.85)	0.42 cum (1x1x0.23x1.85)	0.43 cum	₹2752 (0. 43x6400 Rate percum)

(ख) टोर स्टील की संविदाकार को जारी वास्तविक मात्रा से ₹190298/– की अधिक मात्रा जारी की गई दर्शाई जानीः–

मापन पुस्तिका संख्या 1720/12 पृष्ठ 97 पर छठे चलत बिल तक Abstract of Cost के अनुसार अनुबन्ध की मद संख्या 11 के निष्पादन हेतु संविदाकार को 10 एम0एम0 टोर स्टील की 7.750 मीट्रिक टन मात्रा जारी की गई दर्शाई गई थी जबकि वास्तव में छठे बिल तक निर्माण मण्डल द्वारा केवल 2.800 मीट्रिक टन की मात्रा ही इंडेंट के माध्यम से जारी की गई थी जिसकी वसूली दर (Recovery Rate) ₹38444/– प्रति मीट्रिक दर थी। इस प्रकार 10 एम0एम0 टोर स्टील की 4.950 मीट्रिक टन की मात्रा अधिक जारी की गई दर्शाई गई है जिसका ₹190295/–(4.950X₹38444) बनता है। अतः पाई गई त्रुटि बारे वास्तविक तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित जाँच उपरान्त संविदाकार को जारी टोर स्टील का अभिलेख में आवश्यक सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाएः–

इंडेंट सं0	दिनाँक	10एमएम टोर स्टील की वास्तविक जारी मात्रा	10एम0एम0 टोर स्टील की जारी की गई दर्शाई मात्रा	अधिक जारी दर्शाई गई मात्रा	रिकवरी प्रति मीट्रिक टन (₹)	राशि (₹)
4307	20.9.11	1.000 MT	7.750 MT	4.950 MT	38444	₹190298
4143	11.10.12	1.250 MT				
4146	8.11.12	0.550 MT				
कुल योग		**2.800 MT**				

(ग) (i) कार्य स्थल पर लाये गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹8706/– की रायल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, इंडस्ट्रीज के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01. 2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। उपरोक्त कार्य के छठे चलत बिल तक मापन पुस्तिका संख्या 1720/12 पृष्ठ 95 पर अनुबन्ध की मद संख्या 15 के लिए 68.48 घन मीटर कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया जिसके लिए संविदाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार 93.82 घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया है। उक्त पत्रानुसार उपयोग की गई पत्थरों की मात्रा के लिए या तो एम0 फार्म प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्तर पर

नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप ₹8706 की रॉयल्टी के रूप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुंचाई गई हैः–

अनुबन्धित मद सं0	मद का विवरण	पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा	उपयोग की गई पत्थर की मात्रा	टनों में मात्रा	रॉयल्टी प्रति टन (₹)	राशि (₹)
15	RR Masonary with hard stone in foundation & plinth	68.48 cum	93.82 cum (68.48x1.37)	217.66 (93.82x2.32)	40	₹8706

अतः उक्त वर्णित रॉयल्टी की राशि की उचित स्त्रोत/संविदाकार से वसूली की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ii) इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी इत्यादि की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र "एम" ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशोनानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में ही जमा करवाई गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर देय रॉयल्टी की अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) कटिंग इन अर्थ वर्क से निकाले गये पत्थरों की वसूली न करके ठेकेदार को सम्भावित ₹12287/– का अनुचित लाभ पहुंचानाः–

छठे चलत बिल में मापन पुस्तिका संख्या 1720/12 पृष्ठ 91 व 92 पर अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 कटिंग इन अर्थ वर्क की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 184.54 घन मीटर हेतु ₹130/– प्रति घन मीटर की दर से ₹23990.20 तथा कार्य मद संख्या 2 Excavation in foundation & trenches की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 125.01 घन मीटर हेतु ₹220/– प्रति घन मीटर की दर से ₹27520.20 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था परन्तु खुदाई से प्राप्त पत्थरों का कोई भी उल्लेख न तो सम्बन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिका, एम0ए0एस0 इत्यादि

में ही किया गया था और न ही ठेकेदार को पत्थरों की आपूर्ति करके ही कोई वसूली की गई थी जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार वर्णित खुदाई से न्यूनतम 10**%** पत्थरों की मात्रा की प्राप्ति दर्शाई जानी अपेक्षित थी वह भी ऐसी स्थिति में जब भूमि की कटिंग/खुदाई का कार्य पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा हो तथा ठेकेदार द्वारा कार्य मद के कार्यान्वयन हेतु quote की गई दर को भूमि की pick jumper, hard rock, chessling o wedging तथा ब्लास्टिंग प्रकार की कटिंग/खुदाई की विभागीय justification दर द्वारा Justify किया गया हो। इस प्रकार HPSR 2009 के अनुसार Ordinary Quarried Stone की दर ₹350/– प्रति घन मीटर है तथा इस पर ठेकेदार का overall premium 13.48**%** जोड़कर यह दर ₹397/– प्रति घन मीटर बनती है तथा परिणामस्वरूप 30.95 घन मीटर (184.54+125.01=309.55 घन मीटर x10**%**) पत्थर की मात्रा को स्टॉक में न लेकर/ठेकेदार को जारी न करके न्यूनतम ₹12287/– की हिमुडा को हानि/ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 कार्य का नामः–

Renovation of 4 No's toilets and one lock-up room at CID Police Station, Bharari, Shimla

संविदाकार का नामः– श्री ब्रिजेश

अनुबन्ध संख्याः– 4 ऑफ 2013–14

चलित बिलः– दूसरा एवं अन्तिम बिल

माप पुस्तिका संख्या 1754/13

वाउचर संख्या 39 दिनाँक 12.3.2014 ₹239855/–

(क) डिपॉजिट वर्क हेतु कुल प्राप्त राशि के विरूद्ध ₹29876/–का अधिक व्यय करनाः–

उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु पुलिस विभाग द्वारा पत्र संख्या सी0 4 (रिपेयर एंड मेंटेनेन्स) 12–40032, दिनाँक 20.11.2012 द्वारा ₹7 लाख हिमुडा के खाते में डिपाजिट किए गए। हिमुडा द्वारा इस डिपॉजिट कार्य पर वर्कस लैजर पृष्ठ 100 अनुसार दिनाँक 31.03.14 तक कुल ₹729876/– का व्यय किया गया। इस प्रकार उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु

₹29876/– (700000–729876) का अधिक व्यय किया जो कि उक्त विभाग से प्राप्त किया जाना शेष है। अतः जमा राशि से अधिक किए गए खर्च का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि की सम्बन्धित विभाग से शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) डेमोलिशन एवं डिसमेंटलिंग कार्य में प्राप्त उपयोग योग्य सामग्री का अभिलेख तैयार न करनाः–

अनुबन्ध की मद संख्या 1 से 5 तक मापन पुस्तिका संख्या 1635/09 में विभिन्न डेमोलिशन एवं डिसमेंटलिंग कार्य निष्पादित किए गए जिनका विवरण निम्न वर्णित है परन्तु निष्पादित किए गए कार्य के दौरान प्राप्त उपयोग योग्य सामग्री का कोई भी विवरण न तो तैयार किया गया था और न ही इसे एम0ए0एस0 में लिया गया था जबकि मापन पुस्तिका संख्या 1754/13 के पृष्ठ 85 पर केवल यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि निष्पादन के दौरान प्राप्त उपयोग योग्य सामग्री सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। अतः उपयोग योग्य प्राप्त सामग्री हस्तांतरित करने से पूर्व इसका पूर्ण विवरण तैयार एवम एम0ए0एस0 में गणना न करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसकी तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित विवरण/अभिलेख तैयार करके सम्बन्धित विभाग से हस्तांतरण सामग्री का वास्तविक प्राप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाएः–

माप पुस्तिका 1635/09 की पृ0सं0	**कार्य मद संख्या**	**कार्य मद का विवरण**	**निष्पादित कार्य मात्रा**	**कार्य मद की दर (₹)**	**राशि (₹)**
77	1	Demolition below GL up to 1.5mtr.	1.32 cum	650 P/Cum	858
78	2	Demolition above GL up to floor two level	2.32 cum	4000 P/cum	9280
78	3	Demolition of brick above GL up to floor two level	0.89 cum	850 P/cum	756.50
78	4	Dismantling cement in ceiling and partition wall	39.52 sqm	30 P/cum	1185.60
79	5	Dismantling of doors, windos. Ventilators etc.	14 No’s	100 each	1400

32 कार्य का नामः–

C/O Dwelling units for urban poor under basic service for urban poor (BSUP) of Jnnrum at Dhalli, Distt Shimla (HP) (SH C/O 176 Nos flats I/C WS & SI and development of site, C/O R/Wall, B/wall, Toe wall & Approch path, external sewrage system & water supply scheme)

ठेकेदार का नामः– M/S Him Engineer & Consultants, New Shimla

अनुबन्ध संख्याः– 18 ऑफ 2009–10

चलित बिल संख्याः– 19th

वाऊचर संख्या 112 (B) दिनाँक 31.03.14 ₹872542/–

माप पुस्तिका संख्या 1775/13 पृष्ठ 1 से 26 तक (Abstract of cost)

(क) अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही न करने के कारण ₹3463334/– की सम्भावित रूप से परोक्ष हानिः–

उक्त कार्य के निष्पादन हेतु आंबटन पत्र संख्या हिमुडा/A-2/2009, 3538-46 दिनाँक 05.10.09 के माध्यम से ठेकेदार से किए गए अनुबन्ध द्वारा एक वर्ष का समय निर्धारित था जिसके अनुसार यह कार्य आरम्भ तिथि 21.10.09 के उपरान्त दिनाँक 20.04.11 को पूर्ण हो जाना चाहिए था परन्तु यह कार्य अंकेक्षण अवधि दिनाँक 31.03.14 तक भी प्रगति पर ही था जबकि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त भी लगभग तीन गुणा समय अर्थात तीन वर्ष बीत चुके है। इसके बावजूद भी ठेकेदार के विरूद्ध कार्य पूर्ण करने में विलम्ब करने हेतु अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जिसके अनुसार टेडर राशि ₹34633336/– के अधिकतम 10**%** तक की दर से दंड शुल्क/मुआवजा ठेकेदार से वसूल किया जाना अपेक्षित था जोकि ₹3463334/– बनता है। अतः अनुबन्ध की उक्त धारा के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही न करने के कारण जहाँ निर्माण कार्य की पूर्णता में विलम्ब से सम्बन्धित लाभार्थी जनता को इससे प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ रहा है वहीं निक्षेप निर्माण कार्य की कीमत पर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाकर हिमुडा को परोक्ष रूप में ₹3463334/– की हानि हुई है जिस सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए अन्यथा वर्णित हानि की राशि को सम्बन्धित स्त्रोत से

वसूली सुनिश्चित करते हुए हानि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का अनुबन्धित मात्रा से अधिक निष्पादन करवाने पर ठेकेदार को ₹1866736/– का अनियमित भुगतानः–

निर्माण कार्य के आंबटन की शर्तानुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य की विभिन्न मदों की अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा में कोई विचलन अनुज्ञये नहीं होगा परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा से अधिक का निष्पादन करवाया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति बारे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे संशय होता है कि निर्माण कार्य के आबंटन की शर्त की उल्लंघना करते हुए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ही अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा से अधिक का निर्माण कार्य निष्पादित करवाकर ठेकेदार को ₹1866736/– का अनियमित भुगतान किया गया है। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा वर्णित अनियमित भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्रमाँक	अनुबन्ध की मद सं0	कार्य मद का विवरण	अनुबन्धित कार्य प्रमात्रा	निष्पादित कार्य प्रमात्रा (upto 19th R/bill)	अधिक निष्पादित कार्य की प्रमात्रा व प्रतिशतता	कार्य निष्पादन दर (₹) में	अनियमित भुगतान की राशि (₹ में)
1	1	Cutting in earth work	9012.12 cum	11852.55 cum	2840.43 cum /31.51%	200 per cum	568086
2	5	Form work in F/P (a) Beams, C antiliver etc.	4929.76sqm	5642.45 sqm	712.69sqm/14.46%	180 per sqm	128284
3	7	P/LCC 1:4:8 in F/P	30.36cum	218.42 cum	188.06cum/619.43%	2200 per cum	413732
4	17	R/R Massonary in F/P for R/wall Etc.	2685.98cum	2937.86cum	251.88cum 9.38%	2300 per cum	579324
5	42	20mm thick plaster in CM 1:6	9445.48sqm	11218.58 sqm	1773.10sqm 18.77%	100 per sqm	177310
					कुल योग		₹1866736

(ग) (i) कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹389680/— रॉयल्टी की वसूली न करनाः—

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6—5/2006, दिनाँक 16.01.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किये गए पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलो से रॉयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा (upto 19th R/bill)	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरो की मात्रा (टनों में)	रॉयल्टी की दर (प्रति टन ₹ में)	रॉयल्टी की देय राशि (₹) में
17	RR Masonary in F/P & R/Wall etc in CM 1:6	2937.86cum	4024.87 cum (2937.86x1.37)	9337.70 (4024.87x2.32)	40	373508
18	Stone filling behind retaining wall	158.42cum	174.26cum (158.42x1.10)	404.28 (174.26x2.32)	40	16172
				कुल जोड़		**₹389680**

(ii) इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी इत्यादि की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र "एम" ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलो से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में ही जमा करवाई गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा प्राधिकरण खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर देय रॉयल्टी की अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए प्राधिकरण खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 कार्य का नामः–

Repair & maintenance of staff Residential quarters allotted to AG office (Block No. 31, 32 & 33) Housing Colony Sanjouli Phase-III, Shimla

संविदाकार का नामः– श्री रक्षित सूद

अनुबन्ध संख्याः– 17 ऑफ 2013–14

चलित बिलः– प्रथम चलित बिल

माप पुस्तिका संख्या 1765/13 पृष्ठ 58 से 69

वाऊचर संख्या 114 दिनाँक 31.03.14 ₹252745/–

(क) कार्य स्थल पर लाये गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹5213/– रायल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, इंडस्ट्रीज के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरो अनुसार रॉयल्टी देय है। उपरोक्त कार्य के प्रथम चलत बिल तक (मापन पुस्तिका संख्या 1765/13 पृष्ठ 58 से 69) स्टोन सोलिंग वर्क के लिए 51.07 घन मीटर कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया जिसके लिए संविदाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार 56.18 घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया है। उक्त पत्रानुसार उपयोग की गई पत्थरों की मात्रा के लिए या तो एम फार्म प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्तर पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण मे प्रस्तुत अभिलेख में इस प्रकार की

कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप ₹5213/– की रॉयल्टी के रूप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुंचाई गई हैः–

अनुबन्धित मद सं0	**मद का विवरण**	**पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा**	**उपयोग की गई पत्थर की मात्रा**	**टनों में मात्रा**	**रायल्टी प्रति टन (₹)**	**राशि (₹)**
4	Stone soling properly hand packed	57.07 cum	56.18 cum (51.07x1.10)	130.33 (56.18x2.32)	40	5213

अतः उक्त वर्णित रॉयल्टी की राशि की उचित स्त्रोत/संविदाकार से वसूली की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी इत्यादि की एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र "एम" ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में ही जमा करवाई गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा प्राधिकरण खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाये या फिर देय रॉयल्टी की अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए प्राधिकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 कार्य का नामः–

Partially Self Financing Scheme Sanjauli PH III (SH Removal of slips from new approach road leads to 21 No. Cat 1 Fltas in block No. 34 to 37)

ठेकेदारका नामः– Shri B.S. Verma, Dev Nagar, Kasumpati, Shimla

अनुबन्ध संख्याः– 16 वर्ष 2013–14

चलित बिल संख्याः– 2^{nd}

वाऊचर संख्या 63 दिनाँक 21.03.14 ₹282623/–

माप पुस्तिका संख्या 1765/13 पृष्ठ 50 से 57 तक

(क) कार्य स्थल पर लाये गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹11246/– की रायल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरो अनुसार रॉयल्टी देय है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किए गए पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मंडल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलों से रॉयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहंचाया गया है तथा प्राधिकरण खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए प्राधिकरण खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	**कार्य मद का नाम**	**निष्पादित कार्य प्रमात्रा (upto 2nd R/bill)**	**उपयोग पत्थरों की मात्रा**	**उपयोग पत्थरो की मात्रा (टन ₹ में)**	**रॉयल्टी की दर (प्रति टन में)**	**रॉयल्टी की देय राशि (₹) में**
4	Wire crates of G.I. Wire filled with Boulder	121.18cum	121.18 cum (121.18x1.00)	281.14 (121.18x2.32)	40	₹11246

(ख) कटिंग इन अर्थ वर्क/भूमि की खुदाई से निकाले गये पत्थरों की वसूली न करके ठेकेदार को सम्भावित ₹14841/– का अनुचित लाभ पहुंचानाः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 2 कटिंग इन अर्थ वर्क की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 192 घन मीटर (upto 2nd R/bill) हेतु ₹160/– प्रति घन मीटर (Part Rate) की दर से ₹30720 तथा कार्य मद संख्या 3 Excavation in foundation & trenches की निष्पादित कार्य प्रमात्रा

111.45 घन मीटर हेतु ₹290/– प्रति घन मीटर की दर से ₹32320.50 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था परन्तु खुदाई से प्राप्त पत्थरों का कोई भी उल्लेख न तो सम्बन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिका, एम0ए0एस0 इत्यादि में ही किया गया था और न ही ठेकेदार को पत्थरों की आपूर्ति करके ही कोई वसूली की गई थी जबकि प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार वर्णित खुदाई से न्यूनतम 10**%** पत्थरों की मात्रा की प्राप्ति दर्शाई जानी अपेक्षित थी वह भी ऐसी स्थिति में जब भूमि की कटिंग/खुदाई का कार्य पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा हो तथा ठेकेदार द्वारा कार्य मद के कार्यान्वयन हेतु quote की गई दर को भूमि की pick jumper, hard rock, chessling व wedging तथा ब्लास्टिंग प्रकार की कटिंग/खुदाई की विभागीय justification दर द्वारा Jusity किया गया हो। इस प्रकार HPSR 2009 के अनुसार Ordinary Quarried Stone की दर ₹350/– प्रति घन मीटर है तथा इस पर ठेकेदार का overall premium 39.69% जोड़कर यह दर ₹489/– प्रति घन मीटर बनती है तथा परिणामस्वरूप 30.35 घन मीटर (192+111.45=303.45 घन मीटर x10**%**) पत्थर की मात्रा को स्टॉक में न लेकर/ठेकेदार को जारी न करके न्यूनतम ₹14841/– की हिमुडा को हानि/ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 कार्य का नामः–

SHC at Sanjauli Ph. III Distt Shimla (HP) (SH Restoration of demaged retaining wall & wire crates besides block No. 24)

ठेकेदार का नामः– Shri Ved Prakash Sharma Boileauganj, Shimla

अनुबन्ध संख्याः– 15 वर्ष 2013–14

चलित बिल संख्याः– 1^{st}

वाऊचर संख्या 78 दिनाँक 26.03.14 ₹362555/–

माप पुस्तिका संख्या 1767/13 पृष्ठ 42 से 56 तक

(क) कार्य स्थल पर लाये गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹13860/– की रायल्टी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के

खनन पर निर्धारित दरो अनुसार रॉयल्टी देय है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किए गए पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके प्राधिकरण खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मंडल द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलों से रॉयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहंचाया गया है तथा प्राधिकरण खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रॉयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रॉयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए प्राधिकरण खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	**कार्य मद का नाम**	**निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**उपयोग पत्थरों की मात्रा**	**उपयोग पत्थरो की मात्रा (टनों में)**	**रॉयल्टी की दर (प्रति टन ₹ में)**	**रॉयल्टी की देय राशि (₹) में**
5	RR Masonary in F/P & R/Wall etc in CM 1:6	75.57 cum	103.53 cum (75.57x1.37)	240.19 (103.53x2.32)	40	9608
8	Stone filling behind retaining wall	11.33 cum	12.46 cum (11.33x1.10)	28.91 (12.46x2.32)	40	1156
9	Stone soling properly hand packed with spalls 100mm spread thickness	2.05 cum	2.26 cum (2.05x1.10)	5.24 (2.26x2.32)	40	210
6	Wire crates of G.I. Wire filled with Boulder	31.10 cum	31.10 cum (31.10x1.00)	72.15 (31.10x2.32)	40	2886
				Total		**₹13860**

(ii) इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी इत्यादि की एवज में सरकार को अदा की गई रॉयल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र "एम" ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलो से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके प्राधिकरण खजाने में ही जमा करवाई गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदार से रायॅल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर देय रॉयल्टी की अपने स्त्तर पर गणना करके सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 संविदाकार/ठेकेदार की Security ₹1941521/– कालातीत हो चुकी राशि को जब्त न किए जाने के कारण निर्माण मण्डल को वित्तीय हानिः–

CPWD works Manual 2003 के नियम 21.7 के अनुसार "The claim for refund of security deposit is governed by the Limitation Act. The period of limitation is 3 years commencing from the date the right to due accures. In the case of security deposit paid along with the individual contract, the right to due would accrue under Clause 17 after the maintenance period or payment of final bill whichever is leter."

उपरोक्त नियम के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को उसकी देय तिथि, एवं Clause 17 के अन्तर्गत रख रख रखाव हेतु निर्धारित अवधि या अन्तिम बिल की भुगतान की तिथि जो भी बाद में हो के बाद क्लेम कर सकता है परन्तु इस अवधि की समाप्ति के उपरान्त यदि कोई संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को क्लेम नहीं करता तो वह Security कालातीत मानी जायेगी, और नियमानुसार ऐसी सभी कालातीत Security की राशि को निर्माण मण्डल द्वारा जब्त करके अपनी विविध आय (Miscellaneous Income) शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 154, दिनाँक 12.12.2014 मे प्रतिउत्तर में प्रस्तुत सूची जो कि **परिशिष्ट "ङ"** पर संलग्न है के अनुसार निर्माण मण्डल–1 के पास दिनाँक 31.3.2014 तक ₹1941521/– संविदाकारों की ऐसी Security की राशि थी जिनके निर्माण कार्य काफी समय पहले पूर्ण हो चुके थे या जिनकी निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी निर्माण मण्डल के पास उपलब्ध ही नहीं थी तथा संविदाकारों को ऐसी Security की राशि का 31.3.2014 तक भुगतान नहीं किया गया था। यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि दिनाँक 31.03.2013 व 31.03.2014 को दर्शाई गई कालातीत राशि में कोई भिन्नता

नहीं है जिससे स्पष्ट है कि मात्र दिनाँक को 31.3.2014 मे बदल कर पुरानी सूची अंकेक्षण को प्रेषित कर दी गई हे। इस प्रकार उपरोक्त मामले में वर्ष 2013–14 की स्थिति स्पष्ट न करना निर्माण मण्डल की सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः यह मामला आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है तथा साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि इस मामले की पूर्ण छानबीन के उपरान्त कालातीत हो चुकी संविदाकारों की Security की राशि को उपरोक्त नियम के अनुसार जब्त करके निर्माण मण्डल की विविध आय शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाए तथा कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को भी शीघ्र सूचित किया जाए।

37 भण्डार से आपूर्ति किए गए ₹60300/– मूल्य के 300 बैग सीमेन्ट के सम्बन्धित निर्माण कार्य व ठेकेदार के खातों में Debit न करने सम्बन्धी अनियमितताः–

इंडेंट संख्या 4675 दिनाँक 27.09.13 के माध्यम से श्री अनिल कुमार कपिला, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा SFS at Theog, Distt. Shimla (HP) (SH C/O 12 Nos Cat II flats I/C WS & SI के निर्माण कार्य हेतु भण्डार से 300 बोरी सीमेन्ट प्राप्त किया गया था जिसकी आपूर्ति बाद में इंडेंट संख्या 4680 दिनाँक 19.10.13 द्वारा वर्णित निर्माण कार्य के ठेकेदार श्री होशियार सिंह चन्देल को की गई थी (MAS पृष्ठ–2) परन्तु आपूर्ति किये गये सीमेन्ट की ₹201 प्रति बोरी अनुबन्धित निर्गम दर अनुसार ₹60300/– की राशि का न तो सम्बन्धित निर्माण कार्य को ही Debit किया गया था और न ही ठेकेदार को (ठेकेदार बही A-II पृष्ठ 291–93) अतः इस प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि लेखों की सही स्थिति परिलक्षित हो और ठेकेदार से भी राशि की पूर्ण वसूली सुनिश्चित हो सके।

38 क्रय किए गए स्टील की भण्डार लेखों में कम मात्रा लेने के कारण ₹7845/– की सम्भावित हानिः–

स्टील भण्डार के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में विभिन्न फर्मों से जो स्टील क्रय किया गया था उसकी मात्रा बिन कार्ड में कम दर्शाई गई थी जिस सम्बन्ध में न तो बिलो पर वास्तविकता में प्राप्त मात्रा का ही कोई प्रमाण पत्र उल्लेखित था और न ही सम्बन्धित फर्म से कम प्राप्त मात्रा के समतुल्य राशि के

समायोजन बारे ही कोई अभिलेख अंकेक्षण को दिखाया गया जिसके कारण हिमुडा को ₹7845/– की हानि हुई प्रतीत होती हैः–

GR संख्या व दिनाँक	फर्म का नाम, बिल संख्या व दिनाँक	क्रय वस्तु का विवरण	क्रय की गई मात्रा/राशि	बिन कार्ड में ली गई मात्रा	अन्तर	हानि की राशि	बिन कार्ड संख्या
144/18.04.13	M/S Saboo Tor Pvt. Ltd Kala Amb/117 Dated 17.04.13	20mm bar	9.270MT/ 434299	9.200MT	0.070 MT	3280	BM-98/275/10
198/14.01.14	M/S Saboo Tor Pvt. Ltd Kala Amb/2638 Dated 11.01.14	8mm bar	11.885 Mt/	11.835MT	0.050 MT	2300	BM-97/7/2013
-do-	M/S Amba Shakti ispat LTd Paonta Shaib/2646 dated 12.01.14	10mm bar	5.060 Mt/229218	5.010MT	0.050 Mt	2265	BM-96/274/10
					Total	**₹7845**	

अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता को या तो तथ्य सहित स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित हानि की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

39 **लघु आपत्ति विवरणिका :—** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया। अतः यह लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

40 **निष्कर्ष :—** लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय—2 पर अध्यतन (Updation) एवम पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / —

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)123 / 88—खण्ड—15—1902—04, दिनांक—16.04.15, शिमला—09,

प्रतिलिपि :—

1. प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2
2. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला—171002.

पंजीकृत 3 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल—1 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट ''क''   पैरा सं0 1 (ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–1, शिमला–171009 के लेखों अवधि 4/2013 से 3/2014 तक का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन

(ए) अनिर्णीत पैरों का अंकेक्षण प्रतिवेदन का विवरणः–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

1. पैरा 23 अनिर्णीत ।
2. पैरा 28 अनिर्णीत ।
3. पैरा 43 अनिर्णीत ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

1. पैरा 12 (च) अनिर्णीत ।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1. पैरा 50 अनिर्णीत ।
2. पैरा 51 (क) अनिर्णीत ।
3. पैरा 51 (ख) अनिर्णीत ।

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1. पैरा 9 अनिर्णीत ।
2. पैरा 11 अनिर्णीत ।
3. पैरा 30 अनिर्णीत ।
4. पैरा 31 अनिर्णीत ।

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1. पैरा 13(1) अनिर्णीत ।
2. पैरा 13(2) अनिर्णीत ।
3. पैरा 14(1) अनिर्णीत ।
4. पैरा 14(2) अनिर्णीत ।
5. पैरा 33 अनिर्णीत ।

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1. पैरा 10 अनिर्णीत ।

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1. पैरा 15(ख) अनिर्णीत ।
2. पैरा 15(ग) अनिर्णीत ।
3. पैरा 21 अनिर्णीत ।
4. पैरा 23(क) अनिर्णीत ।
5. पैरा 23(ख) अनिर्णीत ।

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1. पैरा 9(क) अनिर्णीत ।
2. पैरा 9(ख) अनिर्णीत ।
3. पैरा 10(क) अनिर्णीत ।
4. पैरा 26 अनिर्णीत ।
5. पैरा 30 अनिर्णीत ।

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1. पैरा 9(3) अनिर्णीत ।
2. पैरा 12(2) अनिर्णीत ।
3. पैरा 14 अनिर्णीत ।
4. पैरा 18 अनिर्णीत ।

5. पैरा 19 अनिर्णीत ।

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 03/2007

1. पैरा 10(क) अनिर्णीत ।
2. पैरा 10(ख) अनिर्णीत ।
3. पैरा 10(ग) अनिर्णीत ।
4. पैरा 12 अनिर्णीत ।
5. पैरा 18 अनिर्णीत ।
6. पैरा 15 15 (क) के अतिरिक्त शेष भाग अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1. पैरा 12 अनिर्णीत ।
2. पैरा 13(क) अनिर्णीत ।
3. पैरा 13 (ख) अनिर्णीत ।
4. पैरा 16 अनिर्णीत ।
5. पैरा 17 अनिर्णीत।
6. पैरा 18 अनिर्णीत।
7. पैरा 19 अनिर्णीत।

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1. पैरा 12 आंशिक निर्णीत। (12 (क) से (च) तक का निपटारा कर दिया गया है)
2. पैरा 13 (क, ख ,घ व च) अनिर्णीत।
3. पैरा 14 अनिर्णीत।
4. पैरा 15 अनिर्णीत।
5. पैरा 16 अनिर्णीत।
6. पैरा 17 अनिर्णीत।

7.	पैरा 19	अनिर्णीत।
8.	पैरा 21	अनिर्णीत।
9.	पैरा 22	अनिर्णीत।
10.	पैरा 24	अनिर्णीत।
11.	पैरा 25	अनिर्णीत।

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 20	अनिर्णीत
8	पैरा 23	अनिर्णीत
9	पैरा 24	अनिर्णीत
10	पैरा 25	अनिर्णीत
11	पैरा 28	अनिर्णीत
12	पैरा 29	अनिर्णीत
13	पैरा 31	अनिर्णीत

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 10 (5)	अनिर्णीत

7	पैरा 13	अनिर्णीत	
8	पैरा 16	अनिर्णीत	
9	पैरा 18	अनिर्णीत	
10	पैरा 19	अनिर्णीत	

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 4 (क)(ii)	अनिर्णीत	
2	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4 (ग) (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4 (घ)(ii)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4 (ङ) (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा 5 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा 8	अंशतः निर्णीत	(मद संख्या 3 से 8 तक सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है)
8	पैरा 9	अनिर्णीत	
9	पैरा 11 (घ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 12 (क)	अंशतः निर्णीत	(राशि की ठेकेदार से वसूली करने हेतु ठेकेदार के अन्तिम बिल में माप पुस्तिका संख्या 1693/10 पृष्ठ 94 पर ईन्द्राज किया गया है बिल के भुगतान उपरान्त सत्यापन आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये)
11	पैरा 14 (क)	अनिर्णीत।	
12	पैरा 14 (ख)	अनिर्णीत।	
13	पैरा 15	अनिर्णीत।	
14	पैरा 17	अनिर्णीत।	
15	पैरा 20	अनिर्णीत ।	

16	पैरा 21 (क)	अनिर्णीत ।	
17	पैरा 21 (ख)	अनिर्णीत ।	
18	पैरा 21 (ग)	अनिर्णीत ।	
19	पैरा 21 (घ)	अनिर्णीत ।	

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा 4 (क)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
2	पैरा 4 (ख)(1)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
3	पैरा 4 (ख)(2)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
4	पैरा 4 (ग)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
5	पैरा 4 (घ)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
6	पैरा 5	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
7	पैरा 6	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
8	पैरा 7	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
9	पैरा 8	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
10	पैरा 9	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
11	पैरा 10(1)(क)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
12	पैरा 10(1)(ख)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
13	पैरा 10(2)(क)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
14	पैरा 10(3)(क)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
15	पैरा 10(4)(क)	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
16	पैरा 11	आंशिक निर्णीत	(केवल श्री ओ0पी0 वर्मा, संविदाकार से ₹6877/– की वसूली की गई है, शेष पैरा अनिर्णीत)
17	पैरा 12 (1)	अनिर्णीत	
18	पैरा 13	आंशिक निर्णीत	(केवल श्री ओ0पी0 वर्मा, संविदाकार से ₹545/–

			की वसूली की गई है, शेष पैरा अनिर्णीत)
19	पैरा 14	अनिर्णीत	
20	पैरा 15	अनिर्णीत	
21	पैरा 15 (ii)	निर्णीत	(Secured Advance की संविदाकार से वसूली उपरान्त)
22	पैरा 16	निर्णीत	(अग्रिम भुगतान की संविदाकार से वसूली उपरान्त)
23	पैरा 17	निर्णीत	(अंकेक्षण पैरे की अनुपालना में प्रस्तुत उत्तर में वर्णित अभिलेख व अपनाई जा रही प्रक्रिया की सत्यापना उपरान्त)
24	पैरा 18	निर्णीत	(अंकेक्षण के अनुसार खर्च को उचित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के उपरान्त)
25	पैरा 19	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित	
26	पैरा 20	अनिर्णीत	
27	पैरा 21	अनिर्णीत	
28	पैरा 22(1)	अनिर्णीत	
29	पैरा 22 (2)	अनिर्णीत	

(बी) पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से मण्डल–1 को स्थानान्तरित बकाया पैरों की वर्तमान स्थिति :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

1.	पैरा 42	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 55	अनिर्णीत ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1992

1.	पैरा 9(ण) 3	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 9(ण) 4	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 9(त) (1)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 9(त) (2)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 9(त) (4)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 9(त) (7)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 9(त) (8)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 9(थ)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 9(ध)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 11	अनिर्णीत ।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1993

1.	पैरा 11	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 13	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 24	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 25	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 26	अनिर्णीत ।

7.	पैरा 27	अनिर्णीत ।

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1994

1.	पैरा 11(वी)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 11(डी)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 11(एफ)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 11(जी)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 11(एच)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 11(आई)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 11(जे)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 11(के)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 11(एल)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 11(एम)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 11(एन)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 11(ओ)	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 11(पी)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 11(क्यू)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 12	अनिर्णीत ।
17.	पैरा 14	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 20(ए0सी0के0)	अनिर्णीत ।
19.	पैरा 21	अनिर्णीत ।
20.	पैरा 22	अनिर्णीत ।
21	पैरा 31(ए)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 31(बी)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 32	अनिर्णीत ।
24	पैरा 33	अनिर्णीत ।

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1995

1.	पैरा 5(6)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 5(18)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 5(19)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 6(3)(1)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 6(3)(4)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 6(5)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 6(16)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 6(18)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 6(19)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 6(20)	अनिर्णीत ।

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

1.	पैरा 34	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 37	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 38	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 39	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 40	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 41	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 42	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 43	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 44	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 47	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 48	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 49	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 50	अनिर्णीत ।

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

1.	पैरा 13(ड)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 30(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 30(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 30(घ)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 30(ङ)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 30(च)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 31(ग)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 31(घ)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 31(ङ)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 31(छ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 31(ज)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 32	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 33(क)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 35(ख)	अनिर्णीत ।
17	पैरा 35(ग)	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 35(घ)	अनिर्णीत ।
19	पैरा 37	अनिर्णीत ।
20	पैरा 39(ख)	अनिर्णीत ।
21.	पैरा 40(क)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 40(ख)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 45(क)	अनिर्णीत ।
24.	पैरा 48	अनिर्णीत ।
25.	पैरा 50	अनिर्णीत ।
26.	पैरा 54(च)	अनिर्णीत ।
27.	पैरा 64(ग)	अनिर्णीत ।
28.	पैरा 65	अनिर्णीत ।

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/1998

1.	पैरा 14 (मण्डल 1 व 2)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 15(घ)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 15(ङ)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 15(छ)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 15(छ)(1)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 15(ज)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 15(झ)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 15(फ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 15(ब)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 15(भ)	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 15(म)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 15(त)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 15(थ)(1)	अनिर्णीत ।
17	पैरा 15(थ)(2)	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 15(थ)(3)	अनिर्णीत ।
19	पैरा 21(1)	अनिर्णीत ।
20	पैरा 21(2)(1)	अनिर्णीत ।
21.	पैरा 21(2)(क)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 21(3)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 21(13)(क)	अनिर्णीत ।
24.	पैरा 22(1)(क)	अनिर्णीत ।
25.	पैरा 22(1)(ख)	अनिर्णीत ।
26.	पैरा 22(7)(घ)	अनिर्णीत ।
27.	पैरा 22(7)(च)	अनिर्णीत ।
28.	पैरा 22(8)(ग)	अनिर्णीत ।

29.	पैरा 22(10)(ग)	अनिर्णीत ।
30.	पैरा 22(10)(घ)	अनिर्णीत ।
31.	पैरा 22(16)	अनिर्णीत ।
32.	पैरा 22(17)	अनिर्णीत ।
33.	पैरा 22(19)	अनिर्णीत ।
34.	पैरा 22(20)	अनिर्णीत ।
35.	पैरा 22(22)	अनिर्णीत ।
36.	पैरा 26(क)	अनिर्णीत ।

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1.	पैरा 18	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 25	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 26	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 32	अनिर्णीत ।
5	पैरा 33	अनिर्णीत ।
6	पैरा 34	अनिर्णीत ।
7	पैरा 35	अनिर्णीत ।
8	पैरा 36	अनिर्णीत ।
9	पैरा 37	अनिर्णीत ।
10	पैरा 41	अनिर्णीत ।
11	पैरा 46	अनिर्णीत ।
12	पैरा 61	अनिर्णीत ।
13	पैरा 71	अनिर्णीत ।
14	पैरा 78	अनिर्णीत ।
15	पैरा 79	अनिर्णीत ।
16	पैरा 80	अनिर्णीत ।

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 15.1.2001 तक

1.	पैरा 21	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 22(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 26(6)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 31	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 32(क)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 35	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 36	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 37	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 38	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 41	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 42	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 47	अनिर्णीत ।